सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, चौथी मंजिल, धूम कॉम्प्लेक्स,
नोवोटेल सर्विस रोड, श्रीनिवास नगर बैंक कॉलोनी,
विजयवाड़ा -520008

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ग्राउंड फ्लोर, 27-19-13, वार्ड नंबर 9, राजस्व वार्ड नंबर 5, ब्लॉक नंबर 5, डीएनओ 11-15-5, राजस्व वार्ड नंबर 39 ए, विन्नाकोटि वारी स्ट्रीट, विजयवाड़ा -520001 के प्रस्तावित इंटीरियर फर्निशिंग, इलेक्ट्रिकल और डेटा केबलिंग कार्य हेतु निविदा

<u>स्वतंत्र बाह्य परिवीक्षक</u>

श्री निर्मल आनंद जोसेफ देवा

मोबाइल: 9000881570, 6304041900
मेल आईडी: meghnadeva2022@gmail.com
कार्यकाल: 11.10.2024 से 3 वर्ष

निविदा आमंत्रण सूचना
दिनांक - 04.09.2025

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंकिंग कंपनियां (उपक्रम का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम 1970 के तहत भारत में गठित एक निगमित निकाय जिसका मुख्यालय चंदरमुखी बिल्डिंग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021 में है, जिसे आगे "बैंक" कहा जाएगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ग्राउंड फ्लोर, 27-19-13, वार्ड नंबर 9, राजस्व वार्ड नंबर 5, ब्लॉक नंबर 5, डीएनओ 11-15-5, राजस्व वार्ड नंबर 39 ए, विन्नाकोटि वारी स्ट्रीट, विजयवाड़ा -520001 के प्रस्तावित इंटीरियर फर्निशिंग, इलेक्ट्रिकल और डेटा केबलिंग कार्य के लिए निविदा आमंत्रित करता है।

निविदा प्रक्रिया बैंक की खुली निविदा प्रक्रिया के अनुसार आयोजित की जाएगी। संभावित बोलीदाताओं को निविदा दस्तावेजों में निर्दिष्ट योग्यता आवश्यकताओं का ध्यान रखना होगा। बोलीदाताओं को निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट निविदा शुल्क (जैसा लागू हो) व्यक्तिगत रूप से जमा करना होगा।

निविदा दस्तावेजों का पूरा सेट नीचे दिए गए लिंक से प्राप्त किया जा सकता है:

http://www.centralbankofindia.co.in/en/active-tender

और / या पर

https://centralbank.abcprocure.com/EPROC/

इस दस्तावेज़ के साथ संलग्न अनुलग्नक-ए में उल्लिखित विवरण के अनुसार बोलियाँ केवल ऑनलाइन माध्यम से ही प्रस्तुत की जानी हैं। भौतिक/हार्ड कॉपी बोलियों को अस्वीकार कर दिया जाएगा और आगे की निविदा प्रक्रिया के लिए उन पर विचार नहीं किया जाएगा।

ऑनलाइन निविदा बोली जमा करने की अंतिम तिथि से पहले उपरोक्त पते पर निविदा शुल्क जमा करना होगा। निर्दिष्ट निविदा शुल्क के बिना प्रस्तुत की जाने वाली कोई भी निविदा, जब तक कि अन्यथा छूट न दी गई हो, अस्वीकार कर दी जाएगी।

बोली का प्रकार : दो बोली प्रणाली

i. "तकनीकी बोली" - निविदा दस्तावेज़ में दर्शाई गई तकनीकी जानकारी निविदा के साथ संलग्न की जानी चाहिए, जो बोलीदाताओं की तकनीकी योग्यता का आधार होगी। केवल प्रासंगिक और सटीक जानकारी/दस्तावेज़ ही प्रस्तुत किए जाने चाहिए। आवश्यक जानकारी/दस्तावेज़ न देने पर, प्रस्ताव अस्वीकार किया जा सकता है। बोलीदाताओं को हस्ताक्षर करने से पहले निविदा दस्तावेज़ को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। निविदा दस्तावेज़ के प्रत्येक पृष्ठ पर विधिवत हस्ताक्षर और मुहर लगाई जानी चाहिए, ताकि नियमों और शर्तों की स्वीकृति का प्रमाण अपलोड करके उपलब्ध कराया जा सके।

ii. "वित्तीय/मूल्य बोली" - निविदा दस्तावेज में दर्शाए गए नियमों और शर्तों की स्वीकृति के प्रतीक के रूप में अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा ऑनलाइन प्रस्तुत/अपलोड/भरी जानी है।

iii. निविदा दस्तावेज के नियमों और शर्तों सहित बोली के सभी पृष्ठों पर केवल प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा स्टाम्प के साथ हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

iv. इस निविदा दस्तावेज़ में उल्लिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाली फर्में निविदा के लिए आवेदन कर सकती हैं। निविदा दस्तावेज़ से संबंधित किसी भी प्रश्न/संदेह के लिए बैंक से फ़ोन पर संपर्क किया जा सकता है - रमाकांत के - सहायक प्रबंधक - 9346558384, एम वीरभद्र कुमार - मुख्य प्रबंधक - 6304906611

i. बोलियों में किसी भी प्रकार की कोई शर्त शामिल नहीं होनी चाहिए। केवल बिना शर्त वाली निविदाएँ ही स्वीकार की जाएँगी। किसी भी सशर्त निविदा को अस्वीकार किया जा सकता है। कोई भी बोलीदाता जो वित्तीय निहितार्थ वाली कोई भी शर्त लगाना चाहता है, उसे निविदा को ध्यान से पढ़ना चाहिए और निविदा में कोई भी शर्त नहीं रखनी चाहिए।

ii. बैंक किसी भी या सभी निविदाओं को, पूर्णतः या आंशिक रूप से, बिना कोई कारण बताए, स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

iii. इस प्रकार जारी किया गया कोई भी परिशिष्ट/शुद्धिपत्र निविदा दस्तावेज़ का हिस्सा होगा, बोली-पूर्व सम्मेलन और अन्य सभी मामलों से संबंधित जानकारी भी केवल बैंक की वेबसाइट पर ही पोस्ट की जाएगी। इसलिए आवेदकों से अनुरोध है कि वे जारी किए गए संशोधनों/शुद्धिपत्रों के संबंध में बैंक की वेबसाइट नियमित रूप से देखते रहें।

अंतर्वस्तु

क्र.सं.	विवरण
1.	निविदा की महत्वपूर्ण शर्तें
2.	विक्रेता जानकारी
3.	निविदाकर्ताओं के मार्गदर्शन के लिए सामान्य नियम और निर्देश
4.	अनुबंध की सामान्य शर्तें
5.	अनुबंध की शर्तों की रूपरेखा
6.	अनुबंध की अतिरिक्त शर्तें
7.	मात्राओं की अनुसूची की प्रस्तावना
8.	समझौते के लेख
9	विनिर्देश
10.	मात्राओं की अनुसूची
11.	चित्र

तकनीकी बोली

क्र. सं.	विषय	विवरण
1	कार्य का नाम	**विजयवाड़ा मुख्य शाखा, भूतल, 27-19-13, वार्ड नं 9, राजस्व वार्ड नं 5, ब्लॉक नं 5, डीएनओ 11-15-5, राजस्व वार्ड नं 39 ए, विन्नाकोटि वारी स्ट्रीट, विजयवाड़ा -520001 के आंतरिक सज्जा का प्रस्तावित कार्य**
2	कार्य की प्रकृति	फर्निशिंग, इलेक्ट्रिकल, केबलिंग कार्य आदि।
3	अनुमानित परियोजना लागत	लगभग 9.16 लाख रुपये
4	निविदा आवेदन शुल्क : (वापसी योग्य नहीं)	**रु.2000/- (दो हजार मात्र) का डीडी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय के पक्ष में विजयवाड़ा में देय, बीएसडी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय चौथी मंजिल, धूम कॉम्प्लेक्स, श्रीनिवास नगर बैंक कॉलोनी, विजयवाड़ा-520008 पर जमा किया जाना है; ऊपर लिखा होना चाहिए "विजयवाड़ा मुख्य शाखा, विजयवाड़ा के आंतरिक साज-सज्जा का प्रस्तावित कार्य"**
5	निविदा वैधता	बैंक द्वारा निर्धारित बोलियां खोलने की तिथि से 90 दिन।
6	निविदा वैधता का विस्तार	**असाधारण परिस्थितियों में, बोलीदाताओं से बिना मूल्य समायोजन के मूल निविदा वैधता से परे अधिकतम 30 दिनों की अवधि के लिए निविदा वैधता विस्तार का अनुरोध किया जा सकता है।**
7	परियोजना को पूरा करने के लिए कुल समय	समझौते के अनुच्छेदों पर हस्ताक्षर करने के 30 दिन बाद
8	दोष दायित्व अवधि	कार्य पूरा होने की तिथि से 1 वर्ष और ठेकेदार द्वारा साइट सौंपने की तिथि, जिसे बैंक द्वारा विधिवत स्वीकार किया गया हो।
9	प्रतिधारण धन	कार्य आदेश मूल्य का 10%, प्रत्येक अंतरिम बिल में कटौती योग्य, बोली सुरक्षा को छोड़कर, बैंक द्वारा केवल 1 वर्ष की दोष देयता अवधि पूरी होने के बाद देय।
10	निविदा दस्तावेजों की उपलब्धता	बैंक की वेबसाइट https://www.centralbankofindia.co.in/en/active-tender पर उपलब्ध 23.08.2025 को सुबह 10:00 बजे से 12.09.2025 को दोपहर 01:00 बजे तक

11	निविदा तकनीकी बोली जमा करने की अंतिम तिथि और समय (केवल ऑनलाइन)	12.09.2025 अपराह्न 03:00 बजे तक
12	निविदा तकनीकी बोली खोलने की तिथि और समय	12.09.2025 अपराह्न 03:30 बजे तक
13	बयाना राशि जमा (अनुमानित लागत के लगभग 2% के बराबर)- रिफंडेबल	**रु. 18500/-** (छूट: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग (एमएसएमई) द्वारा जारी एमएसई खरीद नीति में परिभाषित वैध सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना या केंद्रीय खरीद संगठन या संबंधित मंत्रालय या विभाग के साथ पंजीकृत होना)।
13	मूल्य बोली का उद्घाटन	केवल चयनित बोली के लिए तकनीकी मूल्यांकन पूरा होने के बाद
14	अन्य शर्तें:	बोलीदाता मूल्य उद्धृत करने से पहले साइट का निरीक्षण कर सकते हैं। साइट का दौरा 03.09.2025 को सुबह 11:00 बजे निर्धारित है। एल1 का निर्णय वित्तीय बोली में सारांश पत्र के अंत में कुल राशि के आधार पर किया जाएगा। दरें लागू करों के साथ उद्धृत की जाएंगी।

विक्रेता जानकारी - निविदाकर्ता द्वारा भरा जाने वाला विवरण:	
कंपनी का नाम:	
पता:	
शीर्षक (दस्तावेजी प्रमाण संलग्न करें):	
निविदा हस्ताक्षरकर्ता का नाम:	
क्या निविदा पर हस्ताक्षरकर्ता (यदि कंपनी प्रमुख के अलावा कोई अन्य व्यक्ति हो) हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत है? यदि हाँ, तो प्राधिकरण पत्र/प्रमाण संलग्न करें।	
संपर्क सूत्र:	
मेल पता:	
क्या आप सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग (एमएसएमई) द्वारा जारी एमएसई खरीद नीति में परिभाषित सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए ईएमडी छूट के अंतर्गत आते हैं? (यदि हां, तो प्रमाण संलग्न करें)	
जीएसटीआईएन (प्रमाण संलग्न करें):	
अनिवार्य - क्या आपके पास खतरनाक अपशिष्ट के निपटान पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार पंजीकरण है (यदि हां, तो प्रमाण संलग्न करें)?	
आवेदन शुल्क और ईएमडी के लिए अलग डीडी और संलग्न?	
क्या आपके द्वारा निविदा में निर्धारित तिथि और समय पर वस्तुओं का निरीक्षण किया गया है?	
आपको इस निविदा के बारे में कैसे पता चला?	
क्या आपने इस निविदा में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों को समझ लिया है और उन्हें स्वीकार करते हैं?	
कंपनी की मुहर और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर	
क्या संबंधित क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष का कार्य अनुभव है : (प्रमाण पत्र संलग्न करें)	
पिछले 2 वर्षों में समान पैमाने की कम से कम 2 परियोजनाओं के कार्य आदेश और फोटो संलग्न किए जाएं।	

1. निविदाकर्ताओं के मार्गदर्शन के लिए सामान्य नियम और निर्देश

1. **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, चौथी मंजिल, धूम कॉम्प्लेक्स, नोवोटेल सर्विस रोड, श्रीनिवास नगर बैंक कॉलोनी, विजयवाड़ा -520008 की ओर से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, विजयवाड़ा मुख्य शाखा, ग्राउंड फ्लोर, 27-19-13, वार्ड नंबर 9, राजस्व वार्ड नंबर 5, ब्लॉक नंबर 5, डीएनओ 11-15-5, राजस्व वार्ड नंबर 39 ए, विन्नाकोटि वारी स्ट्रीट, विजयवाड़ा -520001 के प्रस्तावित अंदरूनी हिस्सों के लिए निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।** निविदा दस्तावेज जिसमें योजनाएं, पूर्ण विनिर्देश, किए जाने वाले विभिन्न कार्यों की मात्रा की अनुसूची, तथा जिस व्यक्ति की निविदाएं स्वीकार की जा सकती हैं, उसके द्वारा अनुपालन की जाने वाली अनुबंध की शर्तें शामिल हैं, को इस निविदा दस्तावेज में दिए गए वेब-लिंक के माध्यम से बैंक की वेबसाइट या सरकारी ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल से 23.08.2025 को सुबह 10.30 बजे से निविदाओं की समाप्ति तिथि अर्थात 12.09.2025 को दोपहर 1:00 बजे तक डाउनलोड किया जा सकता है।

कार्य के लिए स्थल नीचे निर्दिष्ट रूप में उपलब्ध है।

2. निविदा को 2-बोली कवर के रूप में अपलोड किया जाएगा। **निविदाएँ 12.09.2025 को 15:30 बजे (या बैंक की सुविधानुसार किसी भी तिथि) ई-ओपन की जाएँगी।**

3. कार्य प्रारंभ करने के लिए लिखित आदेश की तिथि से 45 दिनों के भीतर कार्य पूरा करने की अनुमति है। ठेकेदारों को अपनी दरें और निविदा राशि अंकों के साथ-साथ शब्दों में भी बतानी चाहिए। प्रत्येक मद की राशि की गणना की जानी चाहिए और लागू कर/जीएसटी सहित अपेक्षित योग दिया जाना चाहिए।

4. निविदा शर्तों में निर्धारित निविदा शुल्क और बयाना राशि, रु. 18500/- (अठारह हजार पांच सौ रुपये मात्र) सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय - विजयवाड़ा, चौथी मंजिल, धूम कॉम्प्लेक्स, नोवोटेल सर्विस रोड, श्रीनिवास नगर बैंक कॉलोनी, विजयवाड़ा -520008 के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट के रूप में **विजयवाड़ा** में देय । प्रत्येक निविदा के सामने भौतिक रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए और एक सीलबंद लिफाफे में होना चाहिए जिस **पर 'सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ग्राउंड फ्लोर, 27-19-13, वार्ड नंबर 9, राजस्व वार्ड नंबर 5, ब्लॉक नंबर 5, डीएनओ 11-15-5, राजस्व वार्ड नंबर 39 ए, विन्नाकोटि वारी स्ट्रीट, विजयवाड़ा -520001 के प्रस्तावित फर्निशिंग कार्य के लिए निविदा के लिए निविदा शुल्क और बयाना राशि जमा' लिखा होना चाहिए और व्यक्तिगत रूप से बीएसडी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, चौथी मंजिल, धूम कॉम्प्लेक्स, नोवोटेल सर्विस रोड, श्रीनिवास नगर बैंक कॉलोनी, विजयवाड़ा -520008 या विजयवाड़ा मुख्य शाखा (पता प्रथम तल, 12-05-55/हाजू बच्चा स्ट्रीट, पुराना शेषमहल परिसर, तारापेट विजयवाड़ा-520001), को निविदा जमा करने की अंतिम तिथि से पहले** जमा करना होगा। जिस ठेकेदार की निविदा स्वीकार की जाती है, यदि वह निर्धारित अवधि के भीतर प्रारंभिक सुरक्षा जमा राशि जमा नहीं करता है या अवार्ड लेटर में उल्लिखित निर्धारित तिथि तक काम शुरू नहीं करता है, तो उसकी ईएमडी पूरी तरह से जब्त कर ली जाएगी। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग (एमएसएमई) द्वारा जारी एमएसई खरीद नीति में परिभाषित सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए ईएमडी से छूट प्राप्त है या जो केंद्रीय खरीद संगठन या संबंधित मंत्रालय या विभाग के साथ पंजीकृत हैं।

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया " के पास यह अधिकार होगा, जो न्यूनतम बोली को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है, और/या बिना कोई कारण बताए प्राप्त किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। सभी निविदाएँ जो निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करती हैं या किसी भी तरह से अपूर्ण हैं, अस्वीकार की जा सकती हैं।

6. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया निविदा को पूर्णतः या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और यदि उसकी निविदा को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तो निविदाकर्ता को दरों या अन्य शर्तों में संशोधन का कोई दावा नहीं होगा।

7. निविदाओं के संबंध में प्रचार-प्रसार पूर्णतः प्रतिबंधित है तथा प्रचार-प्रसार करने वाले ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत निविदाएं अस्वीकृत की जा सकती हैं।

8. सभी दरें केवल निविदा के उचित प्रपत्र पर ही उद्धृत की जाएंगी।

9. नीचे/ऊपर प्रतिशत वाली मद दर निविदाओं को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

10. निविदा स्वीकृत होने पर, ठेकेदार के मान्यता प्राप्त प्रतिनिधि (प्रतिनिधियों) का नाम, जो नियोक्ता/वास्तुकारों से निर्देश लेने के लिए जिम्मेदार होगा, नियोक्ता को सूचित किया जाएगा।

11. दरों को अंकों के साथ-साथ शब्दों में भी लिखने का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए और राशियों को केवल अंकों में ही इस प्रकार लिखा जाना चाहिए कि उनमें अन्तर्वेशन संभव न हो। कुल राशि अंकों और शब्दों दोनों में लिखी जानी चाहिए। दशमलव अंकों के बाद 'p' लिखें, उदाहरण के लिए 2.15 रुपये "p", और शब्दों के मामले में, पहले "रुपये" और अंत में "पैसे" लिखें, जब तक कि दर पूरे रुपये में न हो और उसके बाद "केवल" शब्द न हो, यह हमेशा दो दशमलव स्थानों तक होना चाहिए। मात्राओं की अनुसूची में दर लिखते समय, राशि के ठीक बाद "केवल" शब्द लिखा जाना चाहिए और इसे अगली पंक्ति में नहीं लिखा जाना चाहिए।

12. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया न्यूनतम या किसी भी निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है तथा निविदा के सम्पूर्ण या किसी भाग को स्वीकार करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है तथा निविदाकर्ता उद्धृत दरों पर ही कार्य करने के लिए बाध्य होगा।

13. इस अनुबंध के संबंध में सामग्री या तैयार कार्यों पर कोई अन्य कर, जैसे कार्य अनुबंध कर, टर्नओवर कर आदि, ठेकेदार द्वारा देय होगा और **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया** इस संबंध में किसी भी दावे पर विचार नहीं करेगा। इस विशेष पहलू का उल्लेख निविदा सूचना में किया जाना चाहिए।

14. कार्यों के लिए निविदाएँ निविदाएँ खुलने की तिथि से 3 माह की अवधि तक स्वीकृति के लिए खुली रहेंगी। यदि कोई निविदाकर्ता उक्त अवधि से पूर्व अपनी निविदा वापस ले लेता है, तो बैंक निविदा के साथ जमा की गई अग्रिम राशि जब्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

15. कार्य हेतु निविदा की गवाही ऐसे ठेकेदार या ठेकेदारों द्वारा नहीं दी जाएगी जिन्होंने स्वयं निविदा दी है या जिन्होंने उसी कार्य के लिए निविदा दी है। इन शर्तों का पालन न करने पर, निविदा देने वाले और निविदा देखने वाले ठेकेदारों की निविदाएँ तुरंत अस्वीकृत कर दी जाएँगी।

16. निविदाकर्ता के लिए सभी घटक भागों के लिए निविदा दस्तावेज प्रस्तुत करना और हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा, तथा हस्ताक्षरित और मुहरबंद निविदा दस्तावेज की स्कैन की हुई प्रति भी अपलोड करनी होगी और कार्य सौंपे जाने के बाद, उसे प्रत्येक घटक के लिए सक्षम प्राधिकारी **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता करना होगा।**

17. निविदाकर्ता को सक्षम ठेकेदार होने के अलावा, स्वयं को उपयुक्त वर्ग की एजेंसियों के साथ संबद्ध करना होगा जो अन्य कार्यों के लिए निविदा देने के लिए पात्र हैं।

18. उद्धृत मूल्य स्थिर होगा और अंतिम मूल्य पर कोई छूट स्वीकार्य नहीं होगी।

19. यदि ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि 3 दिन से अधिक समय तक साइट से अनुपस्थित पाए जाते हैं तो उनके द्वारा अनुबंध समाप्त माना जाएगा।

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर

2. अनुबंध की सामान्य शर्तें

मात्राओं की अनुसूची में व्यक्तिगत मद के विवरण में तथा इसके बाद और चित्रों में निर्धारित विनिर्देशों और शर्तों में जहां प्रावधान किया गया है, को छोड़कर, कार्य मानक विनिर्देश के अनुसार और नियोक्ता/वास्तुकारों के निर्देशन में किया जाएगा।

1. व्याख्या

इन शर्तों, विनिर्देशों, मात्राओं की अनुसूची, निविदा और समझौते को परिभाषित करते समय, निम्नलिखित शब्दों का वही अर्थ होगा जो उन्हें यहां दिया गया है, सिवाय इसके कि जहां विषय या संदर्भ अन्यथा अपेक्षित हो।

नियोक्ता: नियोक्ता शब्द का तात्पर्य **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय - विजयवाड़ा, चौथी मंजिल, धूम कॉम्प्लेक्स, नोवोटेल सर्विस रोड, श्रीनिवास नगर बैंक कॉलोनी, विजयवाड़ा -520008 से होगा** , जो उनके द्वारा अधिकृत किसी भी कर्मचारी का प्रतिनिधि होगा।

आर्किटेक्ट: आर्किटेक्ट शब्द का अर्थ **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया - आर्किटेक्ट होगा,** इस अनुबंध के प्रयोजन के लिए उनके आर्किटेक्ट न रहने की स्थिति में नियोक्ता द्वारा इस प्रयोजन के लिए नामित अन्य व्यक्ति को नामित किया जाएगा।

ठेकेदार: ठेकेदार शब्द का अर्थ उसके/उनके उत्तराधिकारी, कानूनी प्रतिनिधि, समनुदेशिती और उत्तराधिकारी होगा।

साइट: साइट का अर्थ उस साइट से होगा जहां कार्य निष्पादित किया जाना है जैसा कि साइट योजना पर लाल बॉर्डर में सीमा के भीतर दिखाया गया है, जिसमें ठेकेदार के उपयोग के लिए नियोक्ता द्वारा आवंटित कोई भी भवन और निर्माण शामिल है।

चित्र: कार्य चित्रों, विनिर्देशों, मात्राओं की अनुसूची और नियोक्ता द्वारा कार्य के दौरान दिए गए किसी भी अन्य निर्देश के अनुसार किया जाना है। ठेकेदार को दिए गए कार्य से संबंधित सभी चित्र, मात्राओं की अनुसूची की एक प्रति के साथ, कार्यस्थल पर रखे जाने चाहिए और नियोक्ता/वास्तुकारों को आवश्यकता पड़ने पर ऐसे चित्रों या मात्राओं की अनुसूची तक पहुँच प्रदान की जानी चाहिए।

यदि किसी विस्तृत चित्र की आवश्यकता हो, तो ठेकेदार को ऐसे विस्तृत चित्र और/या आयामी रेखाचित्र तैयार करने होंगे और ऐसा कार्य शुरू करने से पहले नियोक्ता/वास्तुकार से इसकी पुष्टि करवानी होगी। ठेकेदार को चित्रों, विनिर्देशों और मात्राओं की अनुसूची में किसी भी विषय पर सभी स्पष्टीकरण या अतिरिक्त निर्देश, कार्यान्वयन की आवश्यकता से कम से कम 5 दिन पहले लिखित रूप में माँगने होंगे ताकि नियोक्ता उस पर निर्णय ले सके।

"कार्य" का तात्पर्य इस अनुबंध के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य से होगा।

"दिवालियापन अधिनियम" का अर्थ प्रेसीडेंसी टाउन दिवाला अधिनियम या प्रांतीय दिवाला अधिनियम या किसी संशोधनकारी संविधियों द्वारा परिभाषित किसी भी कार्य से होगा।

"मात्राओं की अनुसूची" का तात्पर्य निर्दिष्ट मात्राओं की अनुसूची से होगा जो इस ठेकेदार का हिस्सा है।

2. स्कोप

कार्य में नियोक्ता के (कार्य का विवरण) निर्माण कार्य "ड्राइंग" और मात्राओं की अनुसूची के अनुसार शामिल है। इसमें निर्माण और कार्य के पूरा होने के लिए आवश्यक और प्रासंगिक सभी सामग्रियां, श्रम, उपकरण और प्रबंधन शामिल हैं, इसकी प्रगति के दौरान और पूरा होने पर, नियोक्ता/वास्तुकारों द्वारा प्रस्तुत ड्राइंग में दिखाए गए अनुसार लाइनों की ऊंचाई और ग्रेड के अनुरूप होंगे। यदि कार्य के कुशल समापन के लिए आवश्यक कोई विवरण ड्राइंग और विनिर्देशों से छूट जाता है तो यह ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी कि वह नियोक्ता/वास्तुकारों को सूचित करे और नियोक्ता/वास्तुकारों की सहमति से विवरण तैयार करे, ताकि प्रस्तावित कार्य पूरा होने पर यह स्वीकार्य हो और उपयोग के लिए तैयार हो।

नियोक्ता/वास्तुकार अपने पूर्ण निर्देश में निम्नलिखित के संबंध में आगे चित्र और लिखित निर्देश, विवरण, निर्देश और स्पष्टीकरण जारी कर सकते हैं, जिन्हें आगे सामूहिक रूप से "नियोक्ता/वास्तुकार निर्देश" कहा जाएगा:

a. डिजाइन की गुणवत्ता या कार्यों की गुणवत्ता में परिवर्तन या संशोधन या किसी कार्य को जोड़ना या छोड़ना या प्रतिस्थापित करना।

b. ड्राइंग में कोई विसंगति

c. ठेकेदार द्वारा वहां लाई गई दोषपूर्ण सामग्री को स्थल से हटाना तथा उसके स्थान पर अन्य सामग्री रखना।

d. ठेकेदारों द्वारा निष्पादित किसी भी कार्य का विध्वंस, हटाना और पुनः निष्पादन।

e. वहां पर नियोजित किसी भी व्यक्ति को कार्य से बर्खास्त करना।

f. किसी भी व्यक्ति के काम से खुला हुआ भाग।

g. इसके बाद उल्लिखित कारणों से उत्पन्न होने वाले किसी भी दोष का सुधार और उसे ठीक करना तथा रखरखाव अवधि (धारण अवधि) के दौरान उत्पन्न होने वाले दोषों का सुधार और उन्हें ठीक करना।

ठेकेदार को नियोक्ता/वास्तुकार के निर्देशों का तत्काल पालन करना होगा और विधिवत रूप से कार्य करना होगा, बशर्ते कि नियोक्ता/वास्तुकारों द्वारा ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि को कार्यों के संबंध में दिए गए मौखिक निर्देश, दिशानिर्देश और स्पष्टीकरण, यदि उनमें कोई परिवर्तन शामिल हो, तो पाँच दिनों के भीतर लिखित रूप में ठेकेदार द्वारा दिए गए निर्देशों की पुष्टि करनी होगी। जिन कार्यों की दरों का उल्लेख अवधि अनुसूची में स्पष्ट रूप से नहीं किया गया है, उन्हें नियोक्ता/वास्तुकार की लिखित अनुमति के बिना शुरू नहीं किया जाएगा। मूल्य अनुसूची में उल्लिखित न की गई वस्तुओं की दरें नियोक्ता द्वारा वास्तुकारों के परामर्श से खंड "परिवर्तन" के अनुसार निर्धारित की जाएँगी।

सभी फैक्ट्री निर्मित उत्पादों के संबंध में, जिनके लिए बीआईएस (भारतीय मानक ब्यूरो) चिह्नित उत्पाद उपलब्ध हैं, केवल बीआईएस अंकन वाले उत्पादों का ही उपयोग किया जाएगा।

3. निविदाकर्ता को साइट का दौरा करना होगा

इच्छुक निविदाकर्ता को कार्यस्थल का दौरा करना होगा और स्थानीय स्थल की स्थिति, कार्य की प्रकृति और आवश्यकताओं, परिवहन सुविधाओं, सामग्रियों के प्रभावी उपयोग, सामग्रियों तक पहुँच और भंडारण तथा कचरा

हटाने की व्यवस्था से पूरी तरह परिचित होना होगा। निविदाकर्ता को अपनी निविदा में परिवहन लागत, माल ढुलाई और अन्य शुल्कों के साथ-साथ चित्रों में दर्शाए अनुसार कार्य के समुचित निष्पादन हेतु परिवहन आदि के लिए पुलिस प्रतिबंध सहित किसी भी विशेष कठिनाई का भी उल्लेख करना होगा।

सफल निविदाकर्ता कार्य के प्रारंभ होने के किसी भी दावे का हकदार नहीं होगा या नियोक्ता/वास्तुकार की राय में कार्य प्रारंभ होने से पहले ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है।

4. निविदाएं

निविदाकर्ताओं को जारी किए गए निविदा पत्रों के पूरे सेट को, मुहर लगाने और हस्ताक्षर करने के बाद, पूरी कीमत के साथ अपलोड किया जाना चाहिए। इसके साथ ही, प्रत्येक पृष्ठ पर आद्याक्षर/हस्ताक्षर, निविदाकर्ता द्वारा निविदा पत्रों की स्वीकृति का संकेत देंगे।

मात्राओं की अनुसूची निम्नानुसार भरी जाएगी:

XIX. दर कॉलम को अंग्रेजी अंकों और अंग्रेजी शब्दों दोनों में स्याही से स्पष्ट रूप से भरा जाना चाहिए।
XX. प्रत्येक मद के लिए भरा जाने वाला राशि कॉलम और प्रत्येक उपशीर्ष के लिए राशि जैसा कि "मात्राओं की अनुसूची" में विस्तृत है
XXI. सभी सुधारों पर आद्याक्षर किए जाने हैं।
XXII. वैकल्पिक मदों के लिए राशि कॉलम, जिनके लिए मात्रा का उल्लेख किया जाना है, नहीं भरा जाएगा।
XXIII. किसी भी त्रुटि की स्थिति में, निविदा में अंकित 'मूल' दरों को ही सही दर माना जाएगा।

निविदाकर्ता द्वारा निविदा पत्रों में कोई अधिसूचना, लेखन या सुधार नहीं किया जा सकता है, लेकिन वह अपने विकल्प पर मूल निविदा पत्रों के साथ संलग्न कागज की एक अलग शीट में अपनी टिप्पणी या संशोधन प्रस्तुत कर सकता है।

नियोक्ता को बिना कोई कारण बताए न्यूनतम या किसी भी निविदा को अस्वीकार करने तथा प्रत्येक अनुभाग के लिए किसी या सभी निविदाओं को रद्द करने या कार्य के किसी भी मद को विभाजित करके किसी भी विशेषज्ञ फर्म को वितरित करने का अधिकार सुरक्षित है।

निविदाकर्ताओं को ध्यान देना चाहिए कि निविदा पूर्णतः वस्तु दर पर आधारित है और उनका ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है कि प्रत्येक वस्तु सही, व्यावहारिक और आत्मनिर्भर होनी चाहिए। नियोक्ता/वास्तुकार द्वारा मांगे जाने पर किसी एक या सभी दरों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया जाना चाहिए। नियोक्ता/वास्तुकार ठेकेदार के विश्लेषण को मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे।

कार्यों का भुगतान वास्तविक कार्य के आधार पर "मापा कार्य" के रूप में किया जाएगा, न कि एकमुश्त अनुबंध के रूप में।

मात्रा अनुसूची में वर्णित सभी कार्य मदों को सभी प्रकार से पूर्ण कार्य माना जाएगा और उनका भुगतान किया जाएगा, जिसमें प्रारंभिक और अंतिम कार्य भी शामिल हैं, जो सीधे तौर पर आरेखों, विनिर्देशों और मात्रा अनुसूची से संबंधित और यथोचित रूप से पता लगाने योग्य हैं और इस संबंध में कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। किसी भी कार्य मद के संबंध में निविदा में एकमुश्त शुल्क के मामले में, ऐसे कार्य मदों का भुगतान वास्तविक कार्य के लिए एकमुश्त शुल्क के आधार पर किया जाएगा, जैसा कि नियोक्ता/वास्तुकार द्वारा देय निर्धारित किया जाएगा।

नियोक्ता को यह अधिकार है कि वह चित्रों में दर्शाए गए या विनिर्देश में वर्णित किसी भी कार्य में मात्रा अनुसूची में कुछ जोड़ या हटा सकता है और इसकी लिखित सूचना दे सकता है, लेकिन नियोक्ता की अनुमति के बिना ठेकेदार द्वारा कोई भी जोड़, हटा या परिवर्तन नहीं किया जाएगा। किसी भी परिवर्तन से अनुबंध अमान्य नहीं होगा।

5. समझौता

सफल ठेकेदार को स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप तैयार किए गए समझौते पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता हो सकती है तथा उसे सभी स्टाम्प और कानूनी खर्चों का भुगतान करना होगा।

6. कर और शुल्क

निविदाकर्ताओं को अपने निविदा मूल्यों में सभी शुल्कों, रॉयल्टी, बिक्री के लिए घटाए गए शुल्कों या किसी अन्य कर या स्थानीय शुल्क (यदि लागू हो) को शामिल करना होगा।

7. अनंतिम रकम

मात्राओं की अनुसूची में पीएस के रूप में वर्णित सभी अनंतिम राशियाँ केवल सामग्री की खरीद के लिए आवंटित की जाएँगी, न कि ठेकेदार द्वारा की जाने वाली किसी भी हैंडलिंग और फिक्सिंग के लिए। लाभ के साथ हैंडलिंग और फिक्सिंग की ऐसी लागतें (यदि ठेकेदार है तो परिवहन शुल्क सहित) मात्राओं की अनुसूची में वर्णित अनुबंध मूल्य में अलग से शामिल की जाएँगी। इस मद के अंतर्गत आने वाली राशियों का निपटान पूर्णतः नियोक्ता के विवेक पर होगा। ठेकेदार को नियोक्ता/वास्तुकारों द्वारा जारी प्रमाण पत्र या आदेश पर आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दी गई इन सामग्रियों का भुगतान करना होगा और नियोक्ता/वास्तुकारों से प्राप्त अपने बिल के माध्यम से उन्हें वसूल करना होगा।

8. निष्पादित किए जाने वाले कार्य की मात्रा

मात्राओं की अनुसूची में दर्शाई गई मात्राएं, चित्रों में संपूर्ण नई संरचना को कवर करने के लिए हैं, लेकिन नियोक्ता बिना कोई कारण बताए संपूर्ण संरचना के केवल एक भाग या उसके किसी अतिरिक्त भाग को निष्पादित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

9. नियोक्ता द्वारा नियोजित अन्य व्यक्ति

नियोक्ता को इस अनुबंध में सम्मिलित कार्य के उस भाग या किसी ऐसे कार्य को, जो इस अनुबंध में सम्मिलित नहीं है, अन्य एजेंसी या व्यक्तियों द्वारा निष्पादित करने का अधिकार सुरक्षित है और ठेकेदार ऐसे कार्य के निष्पादन के लिए सभी उचित सुविधाएं और अपने मचान के उपयोग की अनुमति देगा; मुख्य ठेकेदार इस संबंध में सभी सहयोग प्रदान करेगा।

10. बयाना राशि और सुरक्षा जमा

निविदाकर्ता को निविदा जमा करते समय बयाना राशि के रूप में **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय - विजयवाड़ा, चतुर्थ तल, धूम कॉम्प्लेक्स, नोवोटेल सर्विस रोड, श्रीनिवास नगर बैंक कॉलोनी, विजयवाड़ा - 520008 के पक्ष** में बैंक ड्राफ्ट के रूप में ₹18,500/- (केवल अठारह हजार पाँच सौ रुपये) जमा करने होंगे। नियोक्ता बयाना राशि पर कोई ब्याज देने के लिए उत्तरदायी नहीं है। असफल निविदाकर्ताओं की बयाना राशि कार्य सौंपने का निर्णय लेने के तुरंत बाद या निविदा की वैधता अवधि समाप्त होने के बाद बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी।

जिस सफल निविदाकर्ता को ठेका दिया जाएगा, उसे प्रारंभिक सुरक्षा जमा के रूप में, स्वीकृत निविदा के मूल्य का 2%, बयाना राशि सहित, जमा करना होगा। प्रारंभिक सुरक्षा जमा निविदा स्वीकृति की तिथि से 3 दिनों के भीतर जमा करना होगा, अन्यथा नियोक्ता अपने विवेक से स्वीकृति पत्र रद्द कर सकता है और निविदा के साथ जमा की गई बयाना राशि जब्त कर सकता है। प्रारंभिक सुरक्षा जमा कार्य के संतोषजनक समापन (वास्तुकार द्वारा प्रमाणित) के बाद वापस कर दी जाएगी। उपरोक्त प्रारंभिक सुरक्षा जमा के अलावा, प्रत्येक चालू बिल के सकल मूल्य के 10% की दर से प्रगतिशील चालू बिल से अवधारण राशि काट ली जाएगी।

दोष दायित्व अवधि की समाप्ति के 14 (चौदह) दिन बाद ठेकेदार को प्रतिधारण राशि वापस कर दी जाएगी, बशर्ते उसने अनुबंध की शर्तों के अनुसार सभी कार्य संतोषजनक ढंग से किए हों और सभी दोषों को दूर किया हो। प्रतिधारण राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

11. ठेकेदार को सभी आवश्यक चीजें उपलब्ध करानी होंगी

ठेकेदार, चित्रों, चित्रों की अनुसूची, मात्राओं की अनुसूची और विशिष्टताओं के आशय और अर्थ के अनुसार कार्य के निष्पादन के लिए आवश्यक सभी आवश्यक वस्तुएँ उपलब्ध कराएगा, चाहे उनका वर्णन उसमें विशेष रूप से दर्शाया गया हो या नहीं, बशर्ते कि उनसे उनका उचित अनुमान लगाया जा सके। ठेकेदार, कार्य के लिए भूजल और मीठे पानी की व्यवस्था स्वयं अपने खर्च पर करेगा। नियोक्ता किसी भी स्थिति में ठेकेदार द्वारा कहीं और से प्राप्त किए गए भूजल या मीठे पानी के लिए किए गए व्यय के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

अलग-अलग मदों के लिए उद्धृत दरों में उक्त मदों को पूरा करने या अनुबंध के विचार में कार्य करने के लिए आवश्यक सभी चीजें शामिल होंगी, और इकाई मूल्य से परे, निविदा दस्तावेजों में निर्धारित विशिष्ट मदों, यदि कोई हो, को छोड़कर, आकस्मिक या आकस्मिक कार्य, श्रम और/या सामग्री के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसमें सभी कर और शुल्क शामिल होंगे।

ठेकेदार को हर समय नियोक्ता द्वारा नियोजित या भवन पर कार्यरत किसी भी अन्य कर्मचारी को पानी की सुविधा प्रदान करनी होगी और कार्य में कोई भी छेद, खांचे आदि बनाने होंगे। नियोक्ता द्वारा निर्देशित होने पर, ऐसे कर्मचारी को पाइप, विद्युत वायरिंग, विशेष फिटिंग आदि बिछाने या ठीक करने में सक्षम बनाने के लिए, निविदादाताओं द्वारा उद्धृत दरों में तदनुसार, उपर्युक्त सभी आकस्मिक कार्य शामिल होंगे।

12. समापन का समय / समय विस्तार और प्रगति चार्ट

45 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभी प्रकार से पूरा किया जाना है । स्वीकृति पत्र की तिथि या साइट सौंपने की तिथि, जो भी पहले हो, से 2 दिनों के भीतर कार्य प्रारंभ माना जाएगा। समय अनुबंध का सार है और ठेकेदार द्वारा इसका कड़ाई से पालन किया जाएगा।

कार्य को तब तक पूर्ण नहीं माना जाएगा जब तक कि नियोक्ता/वास्तुकार लिखित रूप में यह प्रमाणित न कर दें कि यह कार्य पूर्ण हो गया है तथा दोष दायित्व अवधि ऐसे प्रमाण पत्र की तिथि से प्रारंभ होगी।

समय का विस्तार : यदि नियोक्ता/वास्तुकारों की राय में कार्य में देरी हो रही है (क) किसी असाधारण रूप से खराब मौसम के कारण या (ख) निकटवर्ती या पड़ोसी मालिकों के साथ की गई कार्यवाही या उनके द्वारा की गई धमकी या विवादों के परिणामस्वरूप नियोक्ता के निर्देशों के कारण या (ग) नियोक्ता द्वारा नामित और विनिर्देश में संदर्भित नहीं किए गए अन्य ठेकेदारों के कार्यों या देरी के कारण या (घ) अधिकृत अतिरिक्त और परिवर्धन के कारण या (ङ) किसी भी निर्माण व्यापार को प्रभावित करने वाले श्रमिकों या हड़ताल या तालाबंदी के किसी भी संयोजन के कारण या (च) अन्य कारणों से जो नियोक्ता को लगता है कि ठेकेदार के नियंत्रण से बाहर हैं, अनुबंध के लिए अनुमत समय के पूरा होने पर नियोक्ता इसके संबंध में पूरा होने के लिए समय का उचित और उचित विस्तार करेगा।

ऊपर उल्लिखित हड़तालों या तालाबंदी की स्थिति में, ठेकेदार को नियोक्ता को तुरंत लिखित सूचना देनी होगी। फिर भी, वह विलंब को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेगा और नियोक्ता की संतुष्टि के लिए, इसके अंतर्गत कार्य पूरा करने के लिए समय में किसी भी विस्तार के लिए, जो अंतिम होगा और ठेकेदार के लिए बाध्यकारी होगा, हर संभव प्रयास करेगा और ऐसी हड़ताल या तालाबंदी की समाप्ति पर प्रख्यापित किया जाएगा और विस्तार दिए जाने की स्थिति में, नियोक्ता अंतिम समापन तिथि निर्धारित और घोषित करेगा। परिसमाप्त क्षति के भुगतान के संबंध में खंड 13 में प्रावधान का अर्थ इस प्रकार लगाया जाएगा मानो नियोक्ता द्वारा निर्धारित विस्तारित तिथि के लिए आवेदन किया गया था और क्षति की राशि तदनुसार काट ली जाएगी।

कार्य की प्रगति: इस अवधि के दौरान, ठेकेदार को कार्य प्रारंभ होने से ठीक पहले प्रस्तुत किए गए और नियोक्ता/वास्तुकारों द्वारा सहमत कार्यक्रम चार्ट के आधार पर आनुपातिक प्रगति बनाए रखनी होगी। ठेकेदार को दुर्लभ सामग्री की खरीद की योजना भी पहले से ही बनानी होगी और उसे कार्यक्रम चार्ट में दर्शाना होगा ताकि परियोजना के पूरा होने में कोई देरी न हो।

13. निश्चित क्षति

मामले के लिए उपयुक्त, विलंब के प्रति सप्ताह एलडी की मात्रा के लिए प्रविष्टि निम्नलिखित में से चुनी जानी चाहिए:

ऐसे अनुबंधों के लिए जिनको पूरा होने में समय लगता है 6 महीने या उससे कम.	प्रति सप्ताह निविदा में दर्शाई गई अनुमानित राशि का 1.00%
ऐसे अनुबंधों के लिए जिनको पूरा होने में समय लगता है 6 महीने से अधिक लेकिन 2 वर्ष (24 महीनों) से अधिक नहीं	दर्शाई गई अनुमानित राशि का 0.50% प्रति सप्ताह निविदा
2 वर्ष से अधिक समय से पूर्ण होने वाले अनुबंधों के लिए	दर्शाई गई अनुमानित राशि का 0.25% निविदा प्रति सप्ताह.
अधिकतम एलडी की मात्रा की प्रविष्टि, जिसके उपार्जन से बैंक को यह अधिकार प्राप्त होता है अनुबंध को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित में से चयन किया जाना चाहिए, जो भी लागू हो:	
पूरा होने में लगने वाले समय वाले अनुबंधों के लिए (6 महीने और उससे कम)	स्वीकृत अनुबंध राशि का 10.0%
पूरा होने में लगने वाले समय वाले अनुबंधों के लिए (6 महीने से अधिक लेकिन 1 वर्ष से अधिक नहीं)	स्वीकृत अनुबंध राशि का 7.5%. नीचे दिए गए पैरा के प्रावधान के अधीन।

14. उपयुक्त प्राधिकारी और स्वामियों की सूचना और पेटेंट

ठेकेदार को कार्य से संबंधित विधानमंडल के किसी भी अधिनियम के प्रावधानों, तथा किसी भी प्राधिकरण और/या किसी भी जल, प्रकाश और अन्य कंपनियों, और/या प्राधिकरणों के विनियमों और उप-नियमों, जिनकी प्रणालियों के साथ संरचनाओं को जोड़ने का प्रस्ताव किया गया था, के अनुरूप कार्य करना होगा।

ठेकेदार उक्त अधिनियमों, विनियमों या उप-विधियों द्वारा अपेक्षित सभी सूचनाएं किसी प्राधिकारी को देने की व्यवस्था करेगा तथा ऐसे प्राधिकारी या किसी लोक अधिकारी को कार्य के संबंध में उचित रूप से प्रभार्य सभी फीस का भुगतान करेगा तथा रसीद नियोक्ता के पास जमा कराएगा।

ठेकेदार, कार्य के निष्पादन के मामले में भवन, सड़क या जनता के सदस्यों को पेटेंट अधिकारों, रॉयल्टी क्षति के संबंध में सभी दावों के विरुद्ध नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा और ऐसे दावों से उत्पन्न होने वाली सभी कार्रवाइयों का बचाव करेगा तथा नियोक्ता को ऐसी कार्रवाइयों, लागतों और खर्चों से सभी प्रकार से सुरक्षित और क्षतिपूर्ति रखेगा।

15. पहुंच:

नियोक्ता के किसी भी अधिकृत प्रतिनिधि को उचित समय पर कार्यशाला, कारखानों या अन्य स्थान पर, जहाँ निर्माण कार्य के लिए सामग्री तैयार की जा रही है या निर्माण किया जा रहा है, और उन सभी स्थानों पर जहाँ सामग्री रखी है या जहाँ से उसे प्राप्त किया जा रहा है, स्वतंत्र रूप से जाने की अनुमति होगी। ठेकेदार बैंक या उनके प्रतिनिधि को सामग्री और कारीगरी के निरीक्षण, जाँच और परीक्षण के लिए आवश्यक सभी सुविधाएँ प्रदान करेगा। नियोक्ता के प्रतिनिधि के अलावा किसी भी व्यक्ति को नियोक्ता की लिखित अनुमति के बिना किसी भी समय प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

16. सामग्री, कारीगरी, नमूना, सामग्री का परीक्षण

विनिर्देशों में निर्दिष्ट और प्रदान किए गए सभी कार्य या जो विनिर्देशों में निहित और निहित विवरणों के अनुसार संबंधित प्रकार की सर्वोत्तम और अनुमोदित गुणवत्ता की सामग्रियों के साथ तरीके से किए जाने की आवश्यकता हो सकती है, उनकी पूरी संतुष्टि से। यदि नियोक्ता/वास्तुकारों द्वारा कार्य के निष्पादन के दौरान और उनकी पूरी संतुष्टि के लिए आवश्यक हो। यदि नियोक्ता/वास्तुकारों द्वारा आवश्यक हो तो ठेकेदार अनुमोदित सामग्री परीक्षण प्रयोगशालाओं में या नियोक्ता/वास्तुकारों द्वारा निर्धारित सामग्री और कारीगरी पर अपने खर्चे पर परीक्षण कराएगा ताकि यह साबित हो सके कि परीक्षण के तहत सामग्री आदि संबंधित बीआईएस के अनुरूप है या विनिर्देशों में निर्दिष्ट है। सांचे की तैयारी (कंक्रीट क्यूब के मामले में) परिवहन, परीक्षण आदि के लिए आवश्यक शुल्क ठेकेदार को वहन करना होगा। इस खाते में किसी भी मामले में कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाना चाहिए।

अनुबंध के तहत काम के पूर्ण निष्पादन के लिए आवश्यक सभी सामग्री (जहां अन्यथा वर्णित नहीं है, को छोड़कर) स्टोर उपकरण सामान्य चैनलों के माध्यम से प्रदान किए जाने चाहिए और इसमें आयात शुल्क, बिक्री, कर नियंत्रण और अन्य शुल्क शामिल होने चाहिए और अपनी तरह के सर्वोत्तम उपलब्ध होने चाहिए और ठेकेदार को काम के उचित और कुशल निष्पादन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होना चाहिए। काम को सबसे अच्छे तरीके से किया जाना चाहिए। उपयोग की जाने वाली सभी सामग्रियों के नमूने नियोक्ता/वास्तुकारों को प्रस्तुत किए जाएंगे जब नियोक्ता/वास्तुकारों द्वारा ऐसा निर्देश दिया जाएगा और ऑर्डर देने से पहले नियोक्ता/वास्तुकारों से लिखित अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए। यदि बारिश, हड़ताल, तालाबंदी या किसी अन्य कारण से काम स्थगित हो जाता है तो ठेकेदार अपने खर्च पर काम की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक सावधानियां बरतेगा और इनमें से किसी भी कारण से होने वाले किसी भी नुकसान की भरपाई करेगा।

ठेकेदार को सभी नए कार्य और आपूर्ति, अस्थायी/दरवाजों, खिड़कियों की सुरक्षा और कार्य के निष्पादन के लिए किसी भी अन्य अपेक्षित सुरक्षा को, चाहे वह स्वयं द्वारा किया गया हो या विशेष ट्रेडमैन या उप-ठेकेदार द्वारा, किसी भी कारण से होने वाली क्षति से सुरक्षा प्रदान करनी होगी तथा किसी भी प्रकार की क्षति की पूर्ति ठेकेदार को अपने खर्च पर करनी होगी।

17. अनुचित कार्य को हटाना

नियोक्ता को कार्य के दौरान समय-समय पर लिखित रूप में आदेश देने का अधिकार होगा कि वह आदेश में निर्दिष्ट उचित समय के भीतर किसी भी सामग्री को कार्य से हटा ले, जो नियोक्ता/वास्तुकारों की राय में विनिर्देशों या निर्देशों के अनुसार नहीं है। चित्रों और विनिर्देशों या निर्देशों के अनुसार नहीं सामग्री या कारीगरी के साथ निष्पादित किसी भी कार्य का प्रतिस्थापन या उचित पुनः निष्पादन, यदि अनुबंध या नियोक्ता/वास्तुकारों द्वारा प्रमाणित अन्य एजेंसियों को काम पूरा करने और भुगतान करने से इनकार कर देता है और इसके परिणामस्वरूप या उससे संबंधित या उससे संबंधित सभी व्यय ठेकेदार द्वारा वहन किए जाएंगे या ठेकेदार को मिलने वाली किसी भी राशि से काटे जा सकते हैं। कोई भी प्रमाण पत्र, जो वास्तुकारों द्वारा दिया जा सकता है, ठेकेदार को खराब काम या खराब काम के संबंध में उसकी देयता से मुक्त नहीं करेगा।

18. ठेकेदार के कर्मचारी

ठेकेदार कार्य के लिए तकनीकी रूप से योग्य और सक्षम पर्यवेक्षक नियुक्त करेगा, जो नियोक्ता/वास्तुकारों के निर्देशों को प्राप्त करने और उनका पालन करने के लिए पूरे कार्य समय में (बारी-बारी से) उपलब्ध रहेगा। ठेकेदार कार्य के निष्पादन के लिए कम से कम नए-अनुभवी इंजीनियर को साइट-इन-चार्ज के रूप में नियुक्त करेगा। ठेकेदार कार्य के संबंध में ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करेगा जिनके पास अपना कार्य कुशलतापूर्वक करने के लिए उपयुक्त कौशल या क्षमता हो।

ठेकेदार को यथासंभव कार्य पर मजदूरों को नियुक्त करना होगा।

सोलह वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को, जो भारतीय नागरिक नहीं है, इस कार्य पर नियोजित नहीं किया जाएगा।

ठेकेदार द्वारा पूर्णतः या आंशिक रूप से नियोक्ता या उसके प्रतिनिधि के प्रत्यक्ष आदेश या नियंत्रण के अधीन दिन-कार्य के आधार पर कार्य पर लगाए जाने के लिए आपूर्ति किया गया कोई भी श्रमिक ठेकेदार द्वारा नियोजित व्यक्ति माना जाएगा।

ठेकेदार को निम्नलिखित आवश्यकताओं सहित सभी श्रम कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन करना होगा:

a. मजदूरी भुगतान अधिनियम
b. नियोक्ता दायित्व अधिनियम
c. कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम.
d. ठेका श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 और केन्द्रीय नियम 1971.
e. प्रशिक्षु अधिनियम 1961.
f. इससे संबंधित कोई अन्य अधिनियम या अधिनियमन तथा समय-समय पर इसके अंतर्गत बनाए गए नियम।

ठेकेदार नियोक्ता को किसी भी कर्मचारी के किसी भी दावे के विरुद्ध सुरक्षित रखेगा और क्षतिपूर्ति प्रदान करेगा, तथा किसी भी कर्मचारी द्वारा किए गए किसी भी दावे के संबंध में नियोक्ता द्वारा वहन की जाने वाली सभी लागतों और खर्चों का वहन करेगा।

19. कामगारों की पदच्युति

ठेकेदार, नियोक्ता के अनुरोध पर, अपने द्वारा नियोजित किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो नियोक्ता की राय में अनुपयुक्त या अक्षम है या जिसका आचरण अनुचित है, कार्य से तुरंत बर्खास्त कर देगा। ऐसी बर्खास्तगी नियोक्ता या उसके कार्यालय या कर्मचारियों के विरुद्ध क्षतिपूर्ति या क्षति के किसी भी दावे का आधार नहीं होगी।

20. व्यक्तियों को क्षति और संपत्ति बीमा आदि,

ठेकेदार कार्य या कामगारों, व्यक्तियों, पशुओं या वस्तुओं को होने वाली किसी भी चोट और किसी भी उप-ठेकेदार या उसके या उप-ठेकेदार के किसी भी कर्मचारी की संरचना और/या सभी प्रकार की क्षति के लिए उत्तरदायी होगा, चाहे ऐसी चोट या क्षति लापरवाही, दुर्घटना या इस अनुबंध के कार्यान्वयन से संबंधित किसी भी अन्य कारण से उत्पन्न हुई हो। इन कारणों में अन्य बातों के अलावा, सड़कें, फुटपाथ या रास्ते, साथ ही बारिश, हवा या मौसम की अन्य प्रतिकूलताओं के कारण इस अनुबंध के अधीन भवनों और कार्यों को हुई क्षति शामिल मानी जाएगी। ठेकेदार नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा और पूर्वोक्त किसी भी चोट या व्यक्ति या संपत्ति को हुई क्षति या ऐसे दावे के परिणामस्वरूप हुई क्षति से उत्पन्न होने वाले सभी और किसी भी खर्च के संबंध में हानिरहित रहेगा।

नियोक्ता को स्वतंत्रता होगी और वह किसी भी दावे या क्षति के संबंध में उत्पन्न या प्रोद्भूत किसी भी क्षति, मुआवजे, लागत प्रभार और व्यय की राशि को ठेकेदार को देय या देय होने वाली किसी भी राशि से काटने के लिए सशक्त होगा।

21. बीमा

जब तक अन्यथा निर्देश न दिया जाए, ठेकेदार को आग और/या भूकंप-बाढ़ से होने वाली हानि या क्षति के विरुद्ध कार्यों का बीमा कराना होगा और अनुबंध के पूर्ण होने तक उन्हें बीमाकृत रखना होगा। बीमा नियोक्ता द्वारा अनुमोदित किसी कंपनी के साथ, नियोक्ता और ठेकेदार के संयुक्त नाम से, उस राशि के लिए और नियोक्ता द्वारा अपेक्षित किसी भी अतिरिक्त राशि के लिए कराया जाना चाहिए, ऐसी अतिरिक्त राशि का प्रीमियम, ठेकेदार को अधिकृत अतिरिक्त राशि के रूप में दिया जाएगा।

ठेकेदार को कार्य आदेश जारी होने की तिथि से 7 दिनों के भीतर पॉलिसी और भुगतान किए गए प्रीमियम की रसीद नियोक्ता के पास जमा करनी होगी, जब तक कि अन्यथा निर्देश न दिया गया हो। ठेकेदार द्वारा उपरोक्त प्रावधान के

अनुसार बीमा न कराने पर, नियोक्ता उसकी ओर से बीमा कर सकता है और ठेकेदार को देय किसी भी बिल से भुगतान किए गए प्रीमियम की कटौती कर सकता है। जैसे ही पॉलिसी के तहत दावे का निपटारा हो जाता है या बीमा कंपनी द्वारा कार्य पुनः स्थापित कर दिया जाता है, ठेकेदार को, यदि वे ऐसा करना चाहें, तो कार्य को उसी तरह पूरा करने के लिए पूरी तत्परता से आगे बढ़ना होगा जैसे आग लगने की घटना नहीं हुई हो और अनुबंध की शर्तों का पालन करना होगा।

22. खाता रसीदें और वाउचर

ठेकेदार, नियोक्ता/वास्तुकारों के अनुरोध पर, उन्हें इस अनुबंध के अंतर्गत कार्यों के संबंध में आवश्यक सभी चालान, खाते, रसीदें और अन्य वाउचर उपलब्ध कराएगा। यदि ठेकेदार अनुबंध के अंतर्गत आवश्यक सामग्री से कम सामग्री का उपयोग करता है, तो उसके द्वारा उपयोग की जाने वाली सामग्री की मात्रा और उसके द्वारा वास्तव में उपयोग की गई सामग्री की मात्रा के अंतर की राशि उसके देय राशि से काट ली जाएगी। इस अनुबंध के अंतर्गत किसी भी कार्य के लिए ठेकेदार द्वारा उपयोग की जाने वाली सामग्री की मात्रा के संबंध में नियोक्ता का निर्णय अंतिम और ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा।

किसी भी कार्य का माप लेने से पहले, साइट इंजीनियर या उसके द्वारा प्रतिनियुक्त अधीनस्थ ठेकेदार को उचित सूचना देगा। यदि ठेकेदार ऐसी सूचना के बाद माप लेने में उपस्थित नहीं होता है या साइट इंजीनियर द्वारा अपेक्षित तरीके से माप की तिथि से एक सप्ताह के भीतर प्रतिहस्ताक्षर करने या अंतर दर्ज करने में विफल रहता है, तो ऐसी किसी भी स्थिति में, साइट इंजीनियर या उसके द्वारा प्रतिनियुक्त अधीनस्थ द्वारा, जैसा भी मामला हो, ऐसी सूचना के बाद लिया गया माप अंतिम होगा और ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा और ठेकेदार को उस पर विवाद करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

23. अग्रिम भुगतान और सुरक्षित अग्रिम

ऐसे कार्यों के लिए अग्रिम भुगतान आमतौर पर नहीं किया जाना चाहिए जो वास्तव में पूरे हो चुके हैं, लेकिन जिनका मापन और बिल नहीं बनाया गया है। भुगतान केवल तभी किया जाना चाहिए जब कार्य का विस्तृत माप लिया गया हो और उसका रिकॉर्ड रखा गया हो और ठेकेदार का बिल सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

हालाँकि, जब भी आवश्यक हो, आर्किटेक्ट द्वारा प्रमाणित राशि के 75% तक चालू बिलों का अग्रिम भुगतान किया जा सकता है। ऐसे मामलों में, अगले चालू बिलों के भुगतान से पहले मापों की जाँच और बिलों की जाँच पूरी कर ली जानी चाहिए।

साइट पर लाई गई सामग्रियों की सुरक्षा पर सुरक्षित अग्रिम उन ठेकेदारों को दिए जा सकते हैं जिनका अनुबंध तैयार कार्य के लिए है। ऐसे मामलों में, सक्षम प्राधिकारी ऐसी सामग्रियों के मूल्य (चालान/मूल्यांकित मूल्य) के 75% से अधिक राशि तक अग्रिम स्वीकृत कर सकता है, बशर्ते कि वे टिकाऊ/गैर-विफलता प्रकृति के हों और सामग्रियों पर क्षतिपूर्ति बांड आवश्यक हो और यह ठेकेदार द्वारा कार्य के निष्पादन को स्थगित करने या सामग्रियों की कमी या दुरुपयोग के कारण होने वाले नुकसान के विरुद्ध, और उनकी उचित निगरानी और सुरक्षित अभिरक्षा के लिए, यदि कोई हो, तो हक़दार व्यय के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता हो। इस प्रकार लिए गए अग्रिम की वसूली तब तक स्थगित नहीं की जानी चाहिए जब तक कि ठेकेदार को सौंपा गया पूरा कार्य पूरा नहीं हो जाता। ये वसूली उसके द्वारा किए गए कार्यों के बिलों से की जानी चाहिए क्योंकि सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, और आवश्यक कटौती उस कार्य मद में की जानी चाहिए जिसमें उनका उपयोग किया जाता है।

24. भुगतान

सभी बिल ठेकेदार द्वारा नियोक्ता/वास्तुकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में तैयार किए जाएँगे। 50% कार्य पूर्ण होने के बाद एक अंतरिम बिल तैयार किया जाएगा। कार्य आदेश मूल्य के 50% के अंतरिम बिल दावे के साथ उचित प्रारूप में किए गए कार्य की मात्रा के समर्थन में विस्तृत माप भी संलग्न होना चाहिए और सभी पूर्व भुगतानों की कटौतियाँ दर्शाई जानी चाहिए। यह माना जाएगा कि विक्रेता 'अंतरिम भुगतान' से 10% की कटौती 'प्रतिधारण राशि' के रूप में करने के लिए सहमत हो गया है, जिसे अनुबंध के संबंधित खंडों के अनुसार वापस कर दिया जाएगा।

नियोक्ता/वास्तुकार, ठेकेदार के बिल की उचित जांच के बाद एक प्रमाण पत्र जारी करेंगे, जिसमें नियोक्ता से ठेकेदार को देय राशि का उल्लेख होगा तथा ठेकेदार इन दस्तावेजों में नामित प्रमाण पत्रों का सम्मान करने की अवधि के भीतर भुगतान पाने का हकदार होगा।

अंतरिम प्रमाण पत्र में उल्लिखित राशि, बिल की तिथि तक कार्य में स्थायी रूप से शामिल करने के लिए साइट पर लाई गई सामग्रियों के बिल मूल्य का 70% होगी, जिसमें नियोक्ता द्वारा इन शर्तों के खंड 10 के अनुसार प्रतिधारण राशि के रूप में रखी जाने वाली राशि और इन शर्तों के तहत पहले भुगतान की गई किस्त को घटाया जाएगा, बशर्ते प्रमाण पत्र में केवल उक्त सामग्रियों और माल का मूल्य शामिल होगा, जब से उन्हें उचित रूप से, उचित रूप से और समय से पहले नहीं लाया गया हो और कार्य के निकट रखा गया हो और वह भी केवल तभी जब मौसम या अन्य दुर्घटनाओं से पर्याप्त रूप से संरक्षित किया गया हो।

नियोक्ता इन शर्तों के खंड 10 में वर्णित अनुसार अवधारण राशि काट लेगा। अवधारण राशि की वापसी उक्त खंड में निर्दिष्ट अनुसार की जाएगी। यदि नियोक्ता ने ठेकेदार को सामग्री या सामान की आपूर्ति की है, तो ऐसी किसी भी सामग्री या सामान की लागत ठेकेदार को देय राशि से क्रमशः काट ली जाएगी। सभी अंतरिम भुगतान वास्तव में किए गए और पूर्ण किए गए कार्य के लिए भुगतान माने जाएँगे, और अपूर्ण या अकुशल कार्य को हटाया, ले जाया और पुनर्निर्मित या पुनः निर्मित किया जाएगा या अनुबंध के उचित निष्पादन की स्वीकृति के रूप में माना जाएगा, या किसी भी तरह से उसके किसी भी भाग या किसी भी दावे के अनुसार, न ही यह इन शर्तों या इनमें से किसी के तहत नियोक्ता की खातों के अंतिम निपटान और समायोजन के संबंध में शक्ति को किसी भी तरह से निर्धारित या प्रभावित करेगा या अन्यथा या किसी अन्य तरीके से अनुबंध को प्रभावित करेगा। ठेकेदार द्वारा अंतिम बिल कार्य पूरा होने की निर्धारित तिथि या साइट इंजीनियर द्वारा प्रस्तुत पूर्णता प्रमाण पत्र की तिथि के एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा। सभी अंतिम भुगतान 3 महीने के भीतर किए जाएँगे।

25. अंतिम भुगतान

अंतिम बिल के साथ आर्किटेक्ट से कार्य समाप्ति का प्रमाण पत्र संलग्न होगा। अंतिम बिल का भुगतान, इन शर्तों के खंड 10 में निर्दिष्ट, यथा लागू, रिटेंशन मनी और टीडीएस की कटौती के बाद किया जाएगा। यह राशि दोष दायित्व अवधि पूरी होने के बाद आर्किटेक्ट से यह प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर वापस कर दी जाएगी कि ठेकेदार ने नियोक्ता की संतुष्टि के अनुसार सभी दोषों को दूर कर लिया है। ठेकेदार द्वारा अंतिम बिल के भुगतान की स्वीकृति यह दर्शाएगी कि निष्पादित कार्य के संबंध में उसका आगे कोई दावा नहीं होगा।

26. विविधता / विचलन

ऐसी सभी अतिरिक्त वस्तुओं/गैर-निविदा वस्तुओं की कीमत, जहाँ कहीं भी विद्यमान हो, अनुबंध में समान वस्तुओं के लिए उद्धृत दरों के आधार पर या श्रम, सामग्री और अन्य घटकों की प्रचलित उचित कीमत पर आधारित इंजीनियरिंग दर विश्लेषण के आधार पर निर्धारित की जाएगी। निविदा दरें, निविदा मात्रा में 25% के परिवर्तन पर किसी भी वृद्धि या कमी के लिए मान्य होंगी। + या – 25% से अधिक परिवर्तन के लिए, संबंधित वस्तु की दर की समीक्षा पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर की जा सकती है।

27. प्रतिस्थापन

यदि ठेकेदार किसी भी सामग्री और कारीगरी को प्रतिस्थापित करना चाहता है, तो उसे इस विनिर्देश में निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनिश्चित काल के लिए "बराबर" या "अन्य अनुमोदित" आदि शब्दों के माध्यम से अनुमोदन प्राप्त करना होगा। नियोक्ता/वास्तुकारों की विशिष्ट स्वीकृति लिखित रूप में प्राप्त करनी होगी।

28. निर्माण कार्य के पूरा होने पर उपयोग और उपयोग के लिए तैयारी

ठेकेदार द्वारा पूरे कार्य का गहन निरीक्षण किया जाएगा और कमियों व दोषों को दूर किया जाएगा। निरीक्षण पूरा होने पर, ठेकेदार नियोक्ता/वास्तुकार को सूचित करेगा कि उसने कार्य पूरा कर लिया है और अब निरीक्षण के लिए तैयार है।

29. कार्य पूरा होने पर साइट साफ़ करना

कार्य पूरा होने पर ठेकेदार को साइट से सभी निर्माण सामग्री, अतिरिक्त सामग्री, कूड़ा-कचरा तथा हर प्रकार के अस्थायी कार्यों को हटाना होगा तथा नियोक्ता/वास्तुकारों की संतुष्टि के अनुसार संपूर्ण साइट तथा कार्यों को साफ-सुथरा तथा श्रमिक जैसी स्थिति में छोड़ना होगा।

30. अंतिम माप की अवधि

कार्य पूरा होने के बाद अंतिम माप की अवधि की प्रविष्टि कार्य की जटिलता और माप करने के लिए उपलब्ध कर्मचारियों को ध्यान में रखकर की जाएगी।

कार्य की प्रगति के अनुसार सभी छिपे हुए कार्यों को पहले ही मापा जा चुका होगा।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जब तक कोई लंबी अवधि निर्धारित न की गई हो, अनुबंध की शर्त आम तौर पर अंतिम माप की अवधि के रूप में अनुबंध के पूरा होने की तारीख से तीन महीने (अधिकतम) निर्धारित करती है।

यद्यपि अधिकतम तीन महीने की अवधि का उल्लेख किया गया है, फिर भी मापन कार्य को यथासंभव शीघ्र पूरा करने का प्रयास किया जाएगा।

31. अंतरिम प्रमाणपत्र के लिए कार्य का मूल्य

किए गए कार्य का अधिकतम मूल्य, जो ठेकेदार को अंतरिम भुगतान प्राप्त करने का हकदार बनाता है, आमतौर पर अनुबंध के अनुमानित मूल्य (जैसा कि निविदा सूचना में घोषित किया गया है) को कार्य पूरा होने के लिए अनुमत समय (महीनों में) से विभाजित करने के बाद प्राप्त होता है।

उपरोक्त मान को निकटतम हजार तक पूर्णांकित किया जाता है।

32. पूरा होने के बाद दोष

ठेकेदार को अपने खर्च पर और नियोक्ता की संतुष्टि के अनुसार उन सभी दोषों, सिकुड़न, अवसादन या अन्य दोषों की पूर्ति करनी होगी जो कार्य पूरा होने के 12 महीनों के भीतर दिखाई दे सकते हैं। चूक होने पर नियोक्ता किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है और उसमें संशोधन करके उसकी पूर्ति कर सकता है। इसके परिणामस्वरूप या उससे संबंधित ऐसी क्षति, हानि और व्यय की पूर्ति ठेकेदार द्वारा की जाएगी और उसे वहन किया जाएगा। नियोक्ता द्वारा ऐसी क्षति, हानि और व्यय की वसूली की जा सकेगी या ठेकेदार से की जा सकेगी। ठेकेदार को देय किसी भी धनराशि में से ऐसे कार्य में संशोधन की लागत के बराबर राशि की कटौती की जा सकेगी। यदि रखी गई राशि अपर्याप्त हो, तो ठेकेदार से खंड 10 के अंतर्गत रखी गई राशि में से उस शेष राशि की वसूली की जा सकेगी। साथ ही, नियोक्ता द्वारा इस संबंध में किए गए किसी भी व्यय की भी वसूली की जा सकेगी।

33. वृद्धि

उद्धृत दर अनुबंध की पूरी अवधि (यदि कोई समय विस्तार दिया गया हो, तो उसे भी शामिल करते हुए) के दौरान स्थिर रहेगी और सामग्री की लागत, बिक्री कर, चुंगी आदि में वृद्धि के कारण किसी भी प्रकार के उतार-चढ़ाव के अधीन नहीं होगी, जब तक कि दस्तावेजों में विशेष रूप से उल्लेख न किया गया हो। यदि मामले-दर-मामला आधार पर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनाए जा रहे मूल्य परिवर्तन खंड का पालन किया जा सकता है।

34. निष्क्रिय (बेकार) श्रम

कारण चाहे जो भी हो, किसी भी परिस्थिति में निष्क्रिय श्रमिकों, किराये की अतिरिक्त स्थापना लागत तथा औजारों और संयंत्रों के श्रम प्रभार के लिए कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

35. निलंबन

यदि ठेकेदार, नियोक्ता पर कार्य जारी रखने से रोकने वाले किसी कानूनी प्रतिबंध के कारण या नियोक्ता की राय में, अनुबंध के अपने हिस्से के निष्पादन में उचित तत्परता के साथ आगे बढ़ने में विफल रहता है या यदि वह एक से अधिक बार चूक करता है, तो नियोक्ता को ठेकेदार को लिखित रूप में नोटिस देने की शक्ति होगी, जिसमें यह अपेक्षा की जाएगी कि कार्य को उचित तरीके से और उचित गति के साथ आगे बढ़ाया जाए, ऐसा नोटिस इस खंड के तहत नोटिस माना जाएगा।

ऐसा नोटिस दिए जाने के पश्चात् ठेकेदार को कार्य स्थल से या उसके समीपवर्ती किसी भी स्थान से किसी भी संयंत्र या सामग्री को ऐसे नोटिस दिए जाने की तिथि से तब तक हटाने की स्वतंत्रता होगी, जब तक कि नोटिस का अनुपालन नहीं हो जाता।

36. नियोक्ता द्वारा अनुबंध की समाप्ति

यदि ठेकेदार एक कंपनी होने के नाते, चाहे स्वैच्छिक हो या अनिवार्य, परिसमापन में हो या एक फर्म होने के नाते विघटित हो जाए या एक व्यक्ति होने के नाते दिवालिया घोषित हो जाए या अपने लेनदारों की राशि के बड़े हिस्से के लाभ के लिए समनुदेशन या संयोजन करे या अपने लेनदारों के साथ कोई विलेख या व्यवस्था करे, या यदि आधिकारिक समनुदेशिती दिवालिया हो, या ठेकेदार का रिसीवर दिवालिया हो, अनुबंध को अस्वीकार कर दे, या यदि दिवालियापन हो, या यदि ठेकेदार की फर्म का रिसीवर न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया हो, उसे ऐसा करने की आवश्यकता वाले नोटिस के चौदह दिनों के भीतर नियोक्ता की उचित संतुष्टि के लिए यह दिखाने में असमर्थ हो कि वह अनुबंध को पूरा करने में सक्षम है, और यदि नियोक्ता द्वारा ऐसा अपेक्षित हो तो इसके लिए उचित सुरक्षा दे, या यदि ठेकेदार निष्पादन जारी होने दे, या इस अनुबंध के तहत ठेकेदार के लेनदारों द्वारा या उसकी ओर से किसी भी भुगतान को कुर्क होने दे, या अनुबंध द्वारा चीजों के सभी या किसी भी कार्य का पालन करने और निष्पादित करने में उपेक्षा करे या असफल हो नोटिस के बाद स्पष्ट दिनों के भीतर ठेकेदार कार्यों को करने में कारीगरी पर अनुचित सामग्री का उपयोग करेगा, या नियोक्ता की राय में ऐसी उचित तत्परता नहीं बरतेगा और ऐसी उचित प्रगति नहीं करेगा जिससे कार्य को सहमत समय के भीतर पूरा किया जा सके, और ठेकेदार को ऐसा करने की आवश्यकता वाले तीन स्पष्ट दिनों के नोटिस के बाद नियोक्ता की संतुष्टि के लिए आगे बढ़ने में विफल रहेगा, जैसा कि आगे उल्लेख किया गया है या अनुबंध को छोड़ देगा, फिर और किसी भी मामले में, नियोक्ता पिछले छूट के बावजूद लिखित रूप में एक नोटिस द्वारा इसका निर्धारण कर सकता है, जैसा कि आगे उल्लेख किया गया है, लेकिन इसके द्वारा नियोक्ता की शक्तियों को प्रभावित किए बिना ठेकेदार के दायित्वों और देनदारियों को पूरा किया जाता है, जो पूरी तरह से लागू रहेंगे जैसे कि अनुबंध इस प्रकार निर्धारित नहीं किया गया था और जैसे कि बाद में निष्पादित कार्य ठेकेदार द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित किए गए थे (इस तरह ठेकेदार के पक्ष में कोई ट्रस्ट बनाए बिना) इसके अलावा नियोक्ता या उसके एजेंट, या कर्मचारी, अन्य बिजली, बर्तन और सामग्री को किसी परिसर या आसपास की जमीन या सड़कों पर रख सकते हैं और उसे अपने कर्मचारियों और कर्मचारियों के रूप में बेच सकते हैं। कार्य को जारी रखना और पूरा करना या कार्य को पूरा करने के लिए किसी अन्य ठेकेदार या अन्य व्यक्ति को नियुक्त करना और ठेकेदार किसी भी तरह से कार्य को पूरा करने और परिष्करण करने या कार्य के लिए सामग्री और संयंत्रों का उपयोग करने में ठेकेदार या अन्य व्यक्ति को बाधित नहीं करेगा, जब कार्य पूरा हो जाएगा, या उसके तुरंत बाद जितनी जल्दी हो सके, नियोक्ता ठेकेदार को अपने अधिशेष सामग्री और संयंत्रों को हटाने के लिए लिखित नोटिस देगा और यदि ठेकेदार उसके द्वारा प्राप्ति के बाद 14 दिनों की अवधि के भीतर ऐसा करने में विफल रहता है तो नियोक्ता सार्वजनिक नीलामी द्वारा इसे बेच सकता है और इस प्रकार प्राप्त राशि के लिए ठेकेदार को क्रेडिट देगा।

किसी अन्य ठेकेदार द्वारा कार्य कराने में नियोक्ता द्वारा किए गए किसी भी व्यय या हानि को ठेकेदार को उसके औजारों और संयंत्रों की बिक्री के माध्यम से देय राशि या अन्य ठेकेदार को नियुक्त करने से पहले ठेकेदार द्वारा किए गए कार्य के कारण देय राशि या सुरक्षा जमा के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।

37. मध्यस्थता

इस अनुबंध से संबंधित कार्यों या उसके निष्पादन या रखरखाव या उसके शेष संचालन या प्रभाव पर अधिकारों या पक्षों के अधिकारों या दायित्वों या उससे संबंधित किसी भी समय उत्पन्न होने वाले सभी विवाद या मतभेद, चाहे वे निर्धारण के दौरान या उसके बाद, फौजदारी या अनुबंध के उल्लंघन (उनके अलावा जिनके संबंध में किसी भी व्यक्ति का निर्णय अनुबंध द्वारा अंतिम और बाध्यकारी बताया गया है) के संबंध में पक्षों के बीच उत्पन्न हों, अनुबंध के किसी भी पक्ष द्वारा लिखित सूचना के बाद, उनमें से किसी एक को, इसके बाद उल्लिखित नियोक्ता को, इसके बाद दिए गए अनुसार नियुक्त किए जाने वाले एकमात्र मध्यस्थ को निर्णय के लिए भेजा जाएगा। ऊपर उल्लिखित एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, कर्मचारी नोटिस प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर, ठेकेदार को तीन व्यक्तियों के नामों का एक पैनल भेजेगा, जो वर्तमान में उस संगठन से संबंधित नहीं होंगे जिसके लिए कार्य निष्पादित किया जा रहा है। ठेकेदार उपर्युक्त नामों की प्राप्ति पर, किसी एक व्यक्ति का चयन करेगा जिसे एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया जाना है और नाम प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर नियोक्ता को उसका नाम सूचित करेगा। इसके बाद नियोक्ता बिना किसी विलम्ब के उक्त व्यक्ति को एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करेगा। यदि ठेकेदार निर्दिष्ट अवधि के भीतर उपरोक्त चयन की सूचना देने में विफल रहता है, तो सक्षम प्राधिकारी चयन करेगा और चयनित व्यक्ति को एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करेगा।

तथापि, ठेकेदार के अधीन कार्य मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान जारी रहेगा और ऐसी कार्यवाही के कारण ठेकेदार को देय कोई भी भुगतान नहीं रोका जाएगा।

मध्यस्थ समय-समय पर, पक्षों की सहमति से, निर्णय देने और प्रकाशित करने के लिए समय बढ़ा सकता है।

मध्यस्थ, अपने समक्ष प्रस्तुत प्रत्येक मतभेद विवाद के संबंध में एक अलग निर्णय देगा। मध्यस्थ, अनुबंध की शर्तों के अनुसार प्रत्येक विवाद का निर्णय करेगा और एक उचित निर्णय देगा। मध्यस्थता का स्थान मध्यस्थ द्वारा अपने विवेकानुसार निर्धारित किया गया स्थान होगा।

मध्यस्थ की फीस, यदि कोई हो, यदि आवश्यक हो, तो पंचाट के प्रकाशन से पहले भुगतान की जानी चाहिए, और प्रत्येक पक्ष द्वारा आधी-आधी दी जाएगी। संदर्भ और पंचाट की लागत, जिसमें मध्यस्थ की फीस, यदि कोई हो, शामिल है, जो यह निर्देश दे सकता है कि ऐसी लागत या उसका कोई भाग किसके द्वारा और किस प्रकार से भुगतान किया जाएगा और वह लागत की राशि निश्चित या निश्चित कर सकता है।

मध्यस्थ का निर्णय अंतिम होगा तथा दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

उपर्युक्त के अधीन मध्यस्थ अधिनियम 1940 के प्रावधान या उसके किसी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन और उसके अधीन बनाए गए नियम, तथा तत्समय प्रवृत्त नियम, इस खंड के अधीन मध्यस्थता पर लागू होंगे।

नियोक्ता और ठेकेदार इसके द्वारा इस बात पर भी सहमत होते हैं कि खंड के तहत मध्यस्थता, मध्यस्थता के लिए भेजे जाने के लिए स्पष्ट रूप से सहमत मामले के संबंध में कार्रवाई के किसी भी अधिकार के लिए एक पूर्व शर्त होगी।

4. अनुबंध की अतिरिक्त शर्तें

1. कार्य का दायरा

मात्राओं की सूची और निविदा आरेख केवल कार्य के दायरे का संकेत हैं। अलग-अलग मदों की मात्रा के साथ-साथ कार्य की कुल मात्रा में +20% तक का अंतर हो सकता है। ठेकेदार कुछ मदों को पूरी तरह से छोड़ने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

2. समापन अनुसूची

ठेकेदार को नियोक्ताओं की प्राथमिकताओं के आधार पर, परामर्शदाता वास्तुकारों द्वारा दिए गए कार्यक्रम के अनुसार काम करना होगा। ठेकेदार को दिए गए कार्यक्रम के आधार पर बार चार्ट तैयार करने होंगे और नियोक्ता/वास्तुकारों से उन्हें अनुमोदित कराना होगा। कार्य पूरा करने की कुल अवधि 45 दिन होगी, लेकिन कुछ कार्यों को 15 से 20 दिनों की छोटी अवधि में भी पूरा करना पड़ सकता है।

3. जल और विद्युत ऊर्जा

काम के लिए आवश्यक पानी और बिजली नियोक्ता द्वारा एक बार में निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी, और ठेकेदार को इनका वितरण और व्यवस्था स्वयं करनी होगी। खपत की गई बिजली की लागत ठेकेदारों को सरकारी दरों के अनुसार चुकानी होगी।

4. अन्य नियम और विनियम

a. ठेकेदार को कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत सभी ईएसआई औपचारिकताओं या निर्देशों का पालन करना होगा। उसे ठेका श्रम-विनियमन एवं उन्मूलन अधिनियम, 1970 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत निर्धारित विनियमों का पालन करना होगा।

b. ठेकेदार 18 वर्ष से कम आयु के श्रमिकों को नियोजित नहीं करेगा और उन्हें उचित मजदूरी पर समान कार्य के लिए दी गई मजदूरी से कम नहीं देगा। उचित मजदूरी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में परिभाषित टुकड़ा-टुकड़ा कार्य के लिए पुरुषों की मजदूरी है।

5. मात्राओं की अनुसूची की प्रस्तावना

1. निविदा मद दरों के आधार पर होगी जिसमें सामग्री, श्रम, सभी कर, शुल्क और प्रासंगिक चित्रों के अनुसार पूर्ण स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए आवश्यक सभी अन्य अनुलग्नक सेवाओं की लागत शामिल होगी और विनिर्देश और प्रासंगिक आईएस विनिर्देश की आवश्यकताओं को पूरा करना होगा, जिसमें अनुबंध की सामान्य शर्तों में विस्तृत रूप से देनदारियों और दायित्वों के साथ-साथ निरीक्षण के लिए शुल्क भी शामिल होगा।

2. कीमतें स्थिर रहेंगी तथा सामग्री और श्रम की लागत में वृद्धि या कमी या किसी भी अन्य मूल्य परिवर्तन के कारण परिवर्तन से मुक्त रहेंगी, चाहे वह निष्पादन की निर्धारित अवधि के दौरान हो या पूर्ण होने की विस्तारित अवधि के दौरान, सरकार या स्थानीय निकायों के अधिनियम द्वारा प्रत्यक्ष वैधानिक वृद्धि को छोड़कर, यदि कोई हो।

3. मद दरें मात्राओं की अनुसूची में दी गई अनुमानित मात्राओं में किसी भी परिवर्तन के लिए वैध रहेंगी।

4. विभिन्न कोटेशनों की तकनीकी जांच को सुविधाजनक बनाने के लिए, निविदाकर्ता को अपने कोटेशनों के साथ विस्तृत तकनीकी विवरण प्रदान करना होगा, मात्रा अनुसूची में निर्दिष्ट विभिन्न भागों के तहत विभिन्न वस्तुओं के लिए कैटलॉग और निर्माण चित्र बनाना होगा।

5. चित्र और विनिर्देश उपकरण और कारीगरी के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करते हैं। यदि कोई विचलन हो, तो उसे स्पष्ट रूप से दर्शाया जाएगा। किसी भी विचलन के अभाव में, यह माना जाएगा कि निविदाकर्ता विनिर्देशों और आरेखों के उद्देश्यों और स्थानीय संहिताओं सहित वैधानिक और अग्नि बीमा प्रावधानों के अनुपालन से पूरी तरह संतुष्ट है। जहाँ चित्र और विनिर्देश परस्पर विरोधी हों, वहाँ अधिक कठोर आपूर्ति की जाएगी।

6. सभी प्रतिष्ठानों का परीक्षण निर्दिष्ट रूप से किया जाएगा तथा प्राधिकारियों द्वारा अपेक्षित निर्धारित प्रपत्र में परीक्षण प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

7. संपूर्ण स्थापना की गारंटी, स्थापना की तिथि से 12 महीने की अवधि के लिए, दोषपूर्ण कारीगरी सामग्री के विरुद्ध होगी, जैसा कि वास्तुकारों द्वारा प्रमाणित किया जाएगा और स्वामी द्वारा ग्रहण किया जाएगा। गारंटी अवधि के दौरान, ठेकेदार द्वारा सभी दोषों को निःशुल्क ठीक किया जाएगा।

8. कार्य हेतु आवश्यक जल एवं विद्युत परियोजना स्थल पर उपलब्ध कराई जा सकती है। विद्युत ऊर्जा का उपयोग शुल्क के आधार पर किया जाएगा। यदि स्थल पर उपलब्ध जल निर्माण कार्य हेतु अनुपयुक्त हो, तो ठेकेदार को जल की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

9. निविदाकर्ता को साइट की स्थिति से परिचित होना चाहिए तथा दरें उद्धृत करते समय सभी कारकों पर ध्यान देना चाहिए, इसलिए किसी भी आधार पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं दिया जाएगा।

10. सफल निविदाकर्ता को कार्य पूरा होने के बाद, लेकिन आर्किटेक्ट द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र दिए जाने से पहले, आर्किटेक्ट द्वारा अनुमोदित पैमाने पर साइट पर निष्पादित संपूर्ण स्थापनाओं के पूर्णता चित्र उपलब्ध कराने होंगे।

11. प्रथम वरीयता की सामग्री का उपयोग किया जाएगा और ठेकेदार ऐसा न करने से तभी इनकार कर सकता है जब निविदा विनिर्देशों के अनुसार आवश्यक रेंज का निर्माण किसी विशेष निर्माता द्वारा नहीं किया गया हो। ऐसे मामले के साक्ष्य के समर्थन में संबंधित निर्माता का पत्र होना चाहिए। सभी फिटिंग और सहायक उपकरणों के नमूनों को उनकी स्थापना से पहले नियोक्ता/वास्तुकार द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।

6. समझौते के अनुच्छेद

विजयवाड़ा में **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, चौथी मंजिल, धूम कॉम्प्लेक्स, नोवोटेल सर्विस रोड, श्रीनिवास नगर बैंक कॉलोनी, विजयवाड़ा -520008** (इसके बाद नियोक्ता के रूप में संदर्भित, जिसमें अभिव्यक्ति में उसके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक और समनुदेशिती शामिल होंगे) एक पक्ष के और (इसके बाद ठेकेदार के रूप में संदर्भित, जिसमें अभिव्यक्ति में उसके उत्तराधिकारी, निष्पादक प्रशासक और समनुदेशिती शामिल होंगे) दूसरे पक्ष के बीच बनाया गया।

चूंकि नियोक्ता **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, विजयवाड़ा मुख्य शाखा (नया परिसर), ग्राउंड फ्लोर, 27-19-13, वार्ड नं 9, राजस्व वार्ड नं 5, ब्लॉक नं 5, डीएनओ 11-15-5, राजस्व वार्ड नं 39 ए, विन्नकोटि वारी स्ट्रीट, विजयवाड़ा -520001 विजयवाड़ा मुख्य के प्रस्तावित आंतरिक सज्जा के लिए निविदा के इच्छुक है, जो** सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आर्किटेक्ट (इसके बाद बैंक आर्किटेक्ट के रूप में संदर्भित) द्वारा किए जाने वाले कार्य का वर्णन करने वाले चित्रों और विनिर्देशों के अनुसार है।

जबकि उक्त रेखाचित्र और विनिर्देश तथा मात्राओं की मूल्य अनुसूची पर पक्षकारों द्वारा या उनकी ओर से हस्ताक्षर किए गए हैं और

जबकि ठेकेदार ने यहां निर्धारित शर्तों के अधीन (जिन्हें इसके बाद "शर्तों" के रूप में संदर्भित किया गया है) "उक्त रेखाचित्रों" पर दिखाए गए और "उक्त विनिर्देश" और "उक्त मूल्यांकित मात्रा अनुसूची" में वर्णित कार्य को मूल्यांकित मात्रा अनुसूची में उल्लिखित प्रतिनिधि दरों पर निष्पादित करने के लिए सहमति व्यक्त की है।

अब इस प्रकार सहमति व्यक्त की जाती है:

1. ठेकेदार को इसके बाद किए जाने वाले भुगतान के प्रतिफल में, वह उक्त शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त रेखाचित्रों में दर्शाए गए कार्यों को निष्पादित और पूरा करेगा तथा ऐसे अन्य विस्तृत रेखाचित्रों को भी निष्पादित और पूरा करेगा, जो उक्त परामर्शदाता वास्तुकारों द्वारा उसे उपलब्ध कराए जाएं तथा जिनका वर्णन उक्त विनिर्देश और मात्राओं की उक्त मूल्यांकित अनुसूची में किया गया हो।

2. शर्तों में "परामर्शदाता आर्किटेक्ट" शब्द का अर्थ उक्त सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आर्किटेक्ट या उनकी मृत्यु या इस अनुबंध के उस प्रयोजन के लिए परामर्शदाता आर्किटेक्ट न रहने की स्थिति में, नियोक्ता द्वारा उस प्रयोजन के लिए नामित किया गया कोई अन्य व्यक्ति होगा, जो ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिस पर ठेकेदार नियोक्ता द्वारा अपर्याप्त समझे जाने वाले कारणों से आपत्ति करेगा। यह सदैव लागू रहेगा कि इस अनुबंध के अंतर्गत परामर्शदाता आर्किटेक्ट के रूप में बाद में नियुक्त कोई भी व्यक्ति, परामर्शदाता आर्किटेक्ट द्वारा लिखित रूप में व्यक्त किसी भी निर्णय, अनुमोदन, निर्देश या किसी भी बात की अवहेलना या उसे रद्द करने का हकदार नहीं होगा।

3. उपर्युक्त योजना, समझौता और दस्तावेज इस अनुबंध का आधार बनेंगे और सामग्री, कारीगरी या खाते के संबंध में विवाद के सभी मामलों के संदर्भ में अनुबंध की शर्तों में उल्लिखित उक्त परामर्शदाता इंजीनियरों/वास्तुकारों का निर्णय और इस अनुबंध के खंडों या इसके साथ संलग्न किसी भी अन्य दस्तावेज की इच्छित व्याख्या अंतिम होगी और दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगी और इसे न्यायालय का नियम बनाया जा सकता है।

4. उक्त अनुबंध में ऊपर वर्णित कार्य और उसी साइट के भीतर उससे संबंधित सभी सहायक कार्य शामिल हैं, जिन्हें उक्त नियोक्ता द्वारा समय-समय पर परामर्शदाता आर्किटेक्ट या अन्य परामर्शदाता आर्किटेक्ट के माध्यम से किए जाने का आदेश दिया जा सकता है, भले ही ऐसे कार्य चित्रों में नहीं दिखाए गए हों या उक्त विनिर्देशों या मात्राओं की मूल्य अनुसूची में वर्णित न हों।

5. नियोक्ता इस अनुबंध पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कार्य के चित्र और प्रकृति में परिवर्तन करने तथा कार्य के किसी भी मद को जोड़ने या हटाने या उसके किसी भाग को पूरा कराने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

6. उक्त शर्तों को इस समझौते का हिस्सा माना जाएगा, और इसके पक्षकार क्रमशः इन शर्तों और अनुबंधों का पालन करेंगे और उनके अधीन रहेंगे तथा ऐसी शर्तों के अंतर्गत अपनी ओर से समझौते का पालन करेंगे।

7. इसके अलावा, इस अनुबंध की प्राप्ति के बाद नियोक्ता और ठेकेदार के बीच पत्र विनिमय, जैसा कि सूचीबद्ध है, इस अनुबंध का एक अभिन्न अंग होगा।

8. इस अनुबंध प्रपत्र के कई भाग हमें पढ़कर सुनाये गये हैं तथा हमने उन्हें पूरी तरह से समझ लिया है।

2025 के इस दिन हमारे हाथ साक्षी हैं

उक्त नियोक्ता द्वारा हस्ताक्षरित

_____

की उपस्थिति में

_____

उक्त ठेकेदार द्वारा हस्ताक्षरित

_____

की उपस्थिति में

_____

7. विनिर्देश

सभी कार्य भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप होने चाहिए।

जहां कहीं भी विस्तृत विनिर्देश नहीं दिए गए हैं, वहां कार्य सीपीडब्ल्यूडी विनिर्देश खंड I और II के अनुसार नवीनतम परिवर्धन और सुधारों के साथ किया जाएगा।

विनिर्देश – सामान्य आवश्यकताएँ

1ए. निविदा आरेखों की सूची निविदा दस्तावेज़ों में अन्यत्र दी गई है। ये आरेख निविदाओं और निर्माण कार्यों के लिए भी हैं। इन आरेखों को संशोधित किया जा सकता है और ठेकेदार को समय-समय पर नई संशोधित प्रतियाँ जारी की जा सकती हैं ताकि अंतिम डिज़ाइन और कार्य की प्रगति के दौरान प्रोत्साहित की जाने वाली भौतिक स्थितियों के अनुरूप इन्हें कार्य में अपनाया जा सके।

1बी. केवल चित्रों पर अंकित आयामों का ही अनुसरण किया जाएगा तथा बड़े पैमाने के चित्रों को छोटे पैमाने के चित्रों पर प्राथमिकता दी जाएगी।

1डी. ठेकेदार को अपने खर्च पर विस्तृत दुकान चित्र तैयार करना होगा तथा उसे अपनाने से पहले परामर्शदाता/ग्राहक का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

2A. यह विनिर्देश सामग्री और तैयार कार्य की गुणवत्ता और कारीगरी का सामान्य विवरण देने के लिए है। इसमें सूक्ष्म विवरणों को शामिल करने का कोई इरादा नहीं है। कार्य ठोस इंजीनियरिंग और अन्य व्यावसायिक पद्धतियों के अनुसार किया जाएगा।

2बी. जहां भारतीय मानक ब्यूरो या किसी अन्य समरूप निकाय के किसी मानक विनिर्देश का संदर्भ दिया जाता है, ऐसे मानक विनिर्देश के प्रस्तुत किए जाने की तिथि पर विनिर्देश के नवीनतम संशोधित संस्करण की जानकारी और प्रावधान इन विनिर्देशों में मानक प्रावधानों के विरोध में हैं, वहां बाद के प्रावधानों के लिए प्रक्रियाएं होंगी।

2सी. सभी सामग्रियाँ मानक गुणवत्ता की होंगी और प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों द्वारा निर्मित होंगी जो भारतीय मानक या समकक्ष के अनुरूप हों। जहाँ तक संभव हो, उन पर "बीआईएस" चिह्न लगा होगा, जब तक कि सलाहकार/ग्राहक द्वारा अन्यथा अनुमोदित न किया गया हो। ठेकेदार को सभी सामग्रियों की खरीद और उपयोग से पहले सलाहकार/ग्राहक से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

3. परिमापन और भुगतान

3ए. मात्राओं के बिल में दर्शाई गई मात्राएँ अस्थायी हैं। ठेकेदार को उद्धृत दर पर और तैयार कार्य के वास्तविक मापे गए आयामों के आधार पर भुगतान किया जाएगा, हालाँकि यह सीमा चित्रों में दर्शाए गए आयामों तक सीमित होगी, या सलाहकार/ग्राहक के निर्देशानुसार होगी।

3बी. कार्य का मापन सामान्यतः आईएस: 1200 "भवन एवं सिविल इंजीनियरिंग कार्य के मापन की विधि" के अनुसार किया जाएगा, सिवाय इसके कि जहां निविदा की शर्तें विरोधाभासी हों।

4. लेआउट और सर्वेक्षण

ठेकेदार कार्य के सही और उचित समायोजन, कार्य के सभी भागों की स्थिति, स्तर, आयाम और संरेखण की शुद्धता और उससे संबंधित सभी आवश्यक उपकरणों, यंत्रों और श्रमिकों की व्यवस्था के लिए ज़िम्मेदार होगा। यदि कार्य के किसी भाग के आयाम या संरेखण में कोई त्रुटि हो, तो ठेकेदार, ऐसा करने के लिए कहे जाने पर, अपने खर्चे पर ऐसी त्रुटियों को

ठीक करेगा। सलाहकार/ग्राहक द्वारा किसी भी समायोजन या किसी रेखा या स्तर की जाँच करने से ठेकेदार किसी भी तरह से उसमें सुधार करने की अपनी ज़िम्मेदारी से मुक्त नहीं होगा।

5. निर्माण अनुसूची और पूरा होने का समय

5A. ठेकेदार को कार्यस्थल पर कार्य शुरू होने के 7 दिनों के भीतर प्रत्येक कार्य की संपूर्ण निर्माण गतिविधियों का विवरण देते हुए एक BAR चार्ट प्रस्तुत करना होगा। इस चार्ट की समीक्षा सलाहकार/ग्राहक द्वारा की जाएगी और यदि कोई परिवर्तन किया गया हो, तो ठेकेदार द्वारा किया जाएगा; यह चार्ट कार्यस्थल पर कार्य की प्रगति के मूल्यांकन का आधार या पुनर्मूल्यांकन होगा।

5बी. ठेकेदार को कार्य प्रारंभ होने से कम से कम एक सप्ताह पहले चित्र जारी किए जाएंगे।

5सी. समय पर आरेख प्राप्त न होने के आधार पर समय विस्तार नहीं दिया जाएगा, बशर्ते कि उपर्युक्त समय-सारिणी का पालन किया जाए।

6. अन्य एजेंसियों के साथ सहयोग

6A. इस अनुबंध के कार्यान्वयन के दौरान, कई अन्य एजेंसियाँ और ठेकेदार एक साथ कार्यस्थल पर कार्य करेंगे। उचित समन्वय स्थापित करने और विलंब से बचने के लिए, इस निविदा के ठेकेदार की यह ज़िम्मेदारी होगी कि वह अपने द्वारा प्रस्तावित कार्य, जिसके लिए अन्य एजेंसियों द्वारा एम्बेडमेंट आदि की स्थापना और निर्धारण आवश्यक है, की पर्याप्त सूचना और सटीक तिथियाँ प्रदान करे। निर्माण गतिविधियों के दौरान अन्य एजेंसियों या स्वामियों की सभी सामग्रियों, संयंत्रों आदि की सुरक्षा और क्षति से बचाव की ज़िम्मेदारी ठेकेदार की होगी। ठेकेदार या उसके श्रमिकों द्वारा अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से की गई क्षति या हानि की स्थिति में, सलाहकार/ग्राहक द्वारा दी गई सलाह/निर्देशानुसार उसकी पूर्ति करने की ज़िम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

7. कार्यों का वितरण

कार्य के प्रत्येक भाग को समय-समय पर संचय से मुक्त रखा जाएगा तथा कार्य समाप्ति पर उसे हर प्रकार के दोषों से मुक्त एवं स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाएगा।

8. अन्य दस्तावेजों से संबंध

8ए. तकनीकी विनिर्देश, मात्रा-पत्रों में सूचीबद्ध वस्तुओं के सामान्य विवरण के लिए है। तकनीकी विनिर्देश में निर्दिष्ट या निहित सभी कार्य, मात्रा-पत्रों में मदों का हिस्सा हैं। इसी प्रकार, रेखाचित्रों में सभी संकेत और कार्यों का सामान्य विवरण, चाहे निर्दिष्ट हों या निहित, मात्रा-पत्रों में मदों का हिस्सा हैं।

8बी. मात्रा बिलों में उद्धृत दरों में तकनीकी विनिर्देशों, रेखाचित्रों और कार्यों के सामान्य विवरण के सभी निर्दिष्ट और निहित कार्य शामिल माने जाएंगे, भले ही मात्रा बिलों में उनका विशेष रूप से उल्लेख न किया गया हो।

9. लिफ्ट और लीड

9ए. सभी कार्य मदों के लिए उद्धृत दरों में सभी लिफ्ट और लीड शामिल होंगे, जहां लागू हो।

9बी. सभी मलबे और अपशिष्ट पदार्थों को निर्देशानुसार साइट से दूर किसी दूरस्थ स्थान पर निपटाया जाएगा।

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

अनुमोदित ब्रांड और/या निर्माण की सामग्रियों की सूची - फर्निशिंग

1.	वाणिज्यिक प्लाईवुड बीआईएस से प्रमाणित।	एंकर/आर्किड/सेंचुरी/ग्रीन।
2.	प्रासंगिक बीआईएस प्रमाणित मरीन/जलरोधी प्लाईवुड	एंकर/आर्किड/सेंचुरी/ग्रीन।
3.	फ्लश डोर की प्रासंगिक बीआईएस से पुष्टि	कुट्टी/सम्राट/गार्नेट/आईएसआई निर्मित
4.	ब्लॉक बोर्ड द्वारा संबंधित बीआईएस को पुष्टि	एंकर / सम्राट / गार्नेट / आईएसआई मेक
5.	एक तरफ लैमिनेटेड शीट (1 मिमी मोटी)	फॉर्मिका/ग्रीनलैम/यूरोलैम.
6.	एक तरफ लैमिनेटेड शीट (1.5 मिमी मोटी)	फॉर्मिका/ग्रीनलैम/यूरोलैम.
7.	12 मिमी मोटा प्री-लैमिनेटेड (दोनों तरफ) पार्टिकल बोर्ड	नोवापन (इंडिया) लिमिटेड, या समकक्ष।
8.	एसीपी	अल स्ट्रांग, सुपरबॉन्ड, यूरो बॉन्ड या समकक्ष।
9.	सॉफ्ट बोर्ड	जॉली बोर्ड या समकक्ष।
10.	पोशिश	मिश्रित लिबास / डोनियर / गार्नेट या समकक्ष।
11.	लिबास - भारतीय	गार्नेट / डोनियर / किट प्लाई या समकक्ष।
12.	मेलामाइन फिनिश	मेसर्स एमआरएफ लिमिटेड / एशियन पेंट्स द्वारा निर्मित वुड कोट पिगमेंटेड (2 कोट) - निर्माता विनिर्देश के अनुसार
13.	ग्लेज़िंग	टाटा फ्लोट / मोदी फ्लोट / सेंट गोबेन
14.	ग्लेज़िंग (स्पष्ट)	मोदी फ्लोट / हिंदुस्तान / टाटा
15.	आईना	मोदी फ्लोट / टाटा असाही
16.	टावर बोल्ट	ज्योति/ईबीसीओ/आईएसआई मार्क/फ्लोरा या समकक्ष।
17.	गेंद पकड़ना साधारण	राष्ट्रीय / ईबीसीओ / पीतल हेवी ड्यूटी
18.	गेंद चुंबकीय पकड़	अर्ल बिहारी प्राइवेट लिमिटेड
19.	सँभालना	डोरसेट / ईबीसीओ / आईएसआई चिह्नित
20.	अलमारियों के लिए कब्जे - स्टेनलेस स्टील की छड़ के साथ	डोरसेट / ईबीसीओ / आईएसआई चिह्नित
21.	अलमारियों के लिए कब्जे - स्टेनलेस स्टील की छड़ के साथ	राष्ट्रीय / डोरसेट
22.	बॉक्स टिका	लामा आयातित
23.	दराज गाइड - दूरबीन	कुशल / अर्ल बिहारी या समकक्ष।
24.	दराज गाइड – नियमित	अर्ल बिहारी प्राइवेट लिमिटेड या समकक्ष।
25.	कीबोर्ड – भारतीय	अर्ल बिहारी प्राइवेट लिमिटेड या समकक्ष।
26.	कीबोर्ड - HDP के साथ आयातित	Ebco / ISI चिह्नित
27.	शिकंजा	GKW या समकक्ष
28.	दराजों के लिए ताला - मल्टी लॉक	कुशल / डोरसेट / गोदरेज
29.	ताला - अलमारियों के लिए	गोदरेज / डोरसेट
30.	दरवाज़ा ताला – बेलनाकार ताला	येले / यूनियन / गोदरेज / डोरसेट
31.	दरवाज़ा लॉक – मोर्टिस	गोदरेज / डोरसेट
32.	रात की कुंडी	गोदरेज / येले / डोरसेट

33.	दरवाज़ा बंद करना	गार्निश / हाइपर / एवरलाइट
34.	फ़्लोर स्प्रिंग	एवराइट/ गार्निश
35.	दरवाज़ा रोधक	अर्ल बिहारी प्राइवेट लिमिटेड या समकक्ष।
36.	एल्युमीनियम अनुभाग	नाल्को / हिंडाल्को / जिंदल
37.	लकड़ी के लिए चिपकने वाला	फेविकोल / वैमिकोल
38.	रबरयुक्त चिपकने वाला	मेसर्स पेडिलाइट इंडस्ट्रीज का एसआर 998 या एसआर एक्सप्रेस।
39.	ऐक्रेलिक शीट	आयातित
40.	एस्बेस्टस सीमेंट शीट	एवेरेस्ट
41.	झूठी छत के खंड	इंडिया जिप्सम लिमिटेड.
42.	प्लास्टर ओफ़ पेरिस	स्वीकृत गुणवत्ता
43.	संगमरमर	बिना किसी दरार के एक समान बनावट के साथ प्रथम गुणवत्ता।
44.	सीमेंट	लार्सन एंड टुब्रो / एसीसी - 53 ग्रेड या उच्च।
45.	टाइलों को दादो के रूप में लगाने के लिए सीमेंट	लार्सन एंड टुब्रो / एसीसी - 43 ग्रेड।
46.	सफेद सीमेंट	बिरला व्हाइट
47.	सुदृढ़ीकरण के लिए स्टील	टाटा/सेल बीआईएस विनिर्देश के अनुरूप।
48.	जलरोधी यौगिक	रोफ़े/ सीका/ कृष्णा केमिकल्स/ सुनंदा पर्मा क्विक।
49.	विट्रिफाइड टाइल्स	**कजरिया मेक** (AGCNL- K6211) /निटको, जॉनसन कंपनी में समान शेड मैचिंग)
50.	सिरेमिक टाइलें	कजरिया/निटको/जॉनसन/सोमानी/सिटी टाइल।
51.	सैनिटरी फिटिंग	हिंदुस्तान सेनेटरी वेयर / पेरी वेयर। **वॉश बेसिन:** हिंदवेयर- ज़ेन पेस्टल/स्टार व्हाइट (कैट. नं.-10049 56x45) हिंदवेयर- गार्नेट स्टारव्हाइट (कैट. नं.-100048 58x43) **यूरिनल** : हिंदवेयर - फ्लैट बैक लार्ज (कैट. नं.-60002) **यूरोपियन वाटर क्लॉज़ेट:** हिंदवेयर- ग्रीन स्टारव्हाइट (कैट. नं.-20079) **हिंदवेयर-** स्लिक स्पेशल (कैट. नं.20011 एस-28/पी-18) हिंदवेयर- स्टार एस (कैट नं.20087 एस-10)
52.	जल आपूर्ति जुड़नार	जगुआर कॉन्टिनेंटल सीरीज़ / एस्को
53.	सीआई पाइप और फिटिंग्स - एलए क्लास	बंगाल आयरन कॉर्पोरेशन / एनआईसीओ / बीआईसी
54.	जीआई पाइप – सी क्लास	टाटा/ज़ेनिथ
55.	स्टोनवेयर पाइप – ग्रेड A	डालमिया
56.	सीमेंट पाइप	एवेरेस्ट
57.	पीवीसी पाइप और फिटिंग	प्रिंस/ ट्राइबोर
58.	गेट वाल्व	नेता
59.	पाइप फिटिंग	आर ब्रांड या समकक्ष
60.	रंग वर्णक	रोफ़े कंपाउंड
61.	टॉयलेट सीट कवर	कमांडर / पटेल
62.	शौचालय – सहायक उपकरण	जगुआर कॉन्टिनेंटल सीरीज़
63.	तरल साबुन कंटेनर	एस्कॉन इंजीनियर्स
64.	हाथ ड्रायर	एस्कॉन इंजीनियर्स
65.	रँगना	नेरोलैक/ एशियन/ बर्जर / आईसीआई
66.	सीलेंट	सिलिकॉन – डॉव कॉर्निंग 995

			पॉलीसल्फाइड – पेडिलाइट इंडस्ट्रीज

<u>अनुमोदित ब्रांड और/या निर्माण की सामग्रियों की सूची - विद्युत</u>

उपयोग की जाने वाली सभी सामग्री ISI और FIA अनुमोदित होनी चाहिए

1.	कठोर पीवीसी पाइपलाइन	:	मध्यम गेज दीवार मोटाई आईएसआई और एफआईए अनुमोदित और कुंवारी सामग्री परिशुद्धता से निर्मित
2.	पाइपलाइन के लिए सहायक उपकरण	:	उपरोक्त क्रमांक 1 के समान ही।
3.	कॉपर कंडक्टर पीवीसी लेपित तार (लचीला) (आईएस: 694-1977 के अनुसार)	:	फिनोलेक्स (एफआरएलएस), पॉलीकैब (एफआरएलएस)
4.	स्विच	:	एमके इंडिया, एंकर रोमा
5.	मुख्य स्विच फ्यूज 63 एम्प्स तक - एसी 23 ड्यूटी	:	एलएंडटी
6.	63 एम्प्स से ऊपर-एसी 23 ड्यूटी	:	एलएंडटी
7.	एचआरसी फ़्यूज़	:	एलएंडटी
8.	एमसीबी	:	लेग्रैंड (लोड संपर्क)
9.	वितरण बोर्ड	:	लेग्रैंड (डबल डोर), फैक्ट्री द्वारा ड्राइंग के अनुसार विधिवत निर्मित।
10.	पुनः तार योग्य पोर्सिलेन फ्यूज	:	सीपीएल
11.	टेलीफोन के तार	:	आईटीडी एस/डब्ल्यूएस-113 बी के अनुसार फिनोलेक्स
12.	पीवीसी टेप	:	स्टील की पकड़.
13.	मिश्रण	:	शालीमार नंबर 6
14.	मुख्य केबल 35 वर्ग मिमी तक डाउनस्ट्रीम।	:	पीवीसी बख्तरबंद केबल 1.1 केवी के लिए आईएसआई 1554. राष्ट्रीय / पॉलीकैब
15.	35 sq.mm से डाउनस्ट्रीम शाखायुक्त केबल	:	राष्ट्रीय
16.	ग्रंथियों	:	डबल कम्प्रेशन प्रकार, रबर रिंग और डबल वॉशर के साथ सीमेन प्रकार (नमूना अनुमोदित किया जाना है) कॉमेट/कॉमेक्स
17.	केबल लग्स	:	डॉवेल्स, 3-डी.
18.	धातु आवरण प्लग	:	लीग्रैन्ड
19.	कनेक्टर/ संकेतक	:	टेक्निक, मिमिक (स्थिर एलईडी प्रकार), टेक्नोप्लास्ट, पोर्सिलेन
20.	बटन होल्डर, एंगल होल्डर, सीलिंग रोज़	:	लंगर
21.	एमएस कंड्यूट - आईएसआई चिह्नित	:	बीईसी
22.	एमएस बॉक्स	:	16 गेज से निर्मित, लगातार वेल्डेड (नमूना अनुमोदित किया जाना है)
23.	ईएलसीबी	:	लीग्रैन्ड
24.	एसीबी ड्राआउट प्रकार (एलटी)	:	एलएंडटी
25.	टेलीफोन टैग ब्लॉक	:	क्रोन इंडिया लिमिटेड.

26.	रिले	:	एलएंडटी
27.	एमसीसीबी	:	लीग्रैन्ड
28.	मीटर	:	जयपुर,
29.	प्रकाश जुड़नार	:	बीओक्यू में निर्दिष्ट अनुसार हैवेल्स/फिलिप्स/विप्रो
30.	छत के पंखे	:	क्रॉम्पटन (हाई ब्रीज़/हाई फ्लो सीरीज़ सफ़ेद)
31.	निकास पंखा	:	क्रॉम्पटन
32.	इलेक्ट्रॉनिक कॉल बेल / टाइमर	:	लंगर
33.	टीवी केबल	:	फिनोलेक्स.
34.	वोल्ट मीटर और एमीटर (डिजिटल)	:	मेको, एई
35.	र्तमान ट्रांसफार्मर	:	एई, कप्पा
36.	एलटी पैनल	:	एलएंडटी या सीपीआरआई अनुमोदित निर्माता द्वारा निर्मित
37.	डेटा केबलिंग और उसके घटक	:	सिस्टमैक्स / अवाया
38.	परिवर्तन स्विच	:	हैवेल्स / एचपीएल
39.	24 पोर्ट जैक पैनल	:	सिस्टमैक्स
40.	जैक पैनल के लिए 9U / 12U / 15U रैक	:	सिस्टमैक्स
41.	उपर्युक्त उल्लिखित ब्रांड सामान्य दिशानिर्देश के रूप में दिए गए हैं, यदि मात्रा के बिल में ब्रांड का उल्लेख नहीं किया गया है। **ठेकेदार को अनुसूची (बीओक्यू) में उल्लिखित मानकों का पालन करना होगा, यदि लागू हो, तथा सर्वोत्तम इंजीनियरिंग प्रथाओं के अनुसार।**		

नोटः-

- ***जहाँ भी एक से अधिक ब्रांड दर्शाए गए हों, ठेकेदार को पहले दर्शाई गई सामग्री का उपयोग करना चाहिए। बैंक दूसरे और उसके बाद दर्शाई गई सामग्री के उपयोग की अनुमति केवल तभी देगा जब पहले दर्शाई गई सामग्री उपलब्ध न हो और/या वह साइट की स्थिति के अनुसार उपयुक्त (रंग, आकार, आकृति, बनावट) न हो।***

- ***यदि निविदाकर्ता सामग्री, कारीगरी आदि के विस्तृत विनिर्देश को सत्यापित करना चाहता है तो निविदा प्रस्तुत करने से पहले बैंक के कार्यालय से इसका सत्यापन कराया जा सकता है।***

- ***कोई उत्पाद समतुल्य है या नहीं, इसका निर्णय केवल बैंक द्वारा ही किया जाएगा।***

नोटः-

- ***जहाँ भी एक से अधिक ब्रांड दर्शाए गए हों, ठेकेदार को पहले दर्शाई गई सामग्री का उपयोग करना चाहिए। बैंक दूसरे और उसके बाद दर्शाई गई सामग्री के उपयोग की अनुमति केवल तभी देगा जब पहले दर्शाई गई सामग्री उपलब्ध न हो और/या वह साइट की स्थिति के अनुसार उपयुक्त (रंग, आकार, आकृति, बनावट) न हो।***
- ***यदि निविदाकर्ता सामग्री, कारीगरी आदि के विस्तृत विनिर्देश को सत्यापित करना चाहता है तो निविदा प्रस्तुत करने से पहले बैंक के कार्यालय से इसका सत्यापन कराया जा सकता है।***
- ***कोई उत्पाद समतुल्य है या नहीं, इसका निर्णय केवल परियोजना प्रभारी द्वारा ही किया जाएगा।***
- ***कार्य में सीसीटीवी/अग्निशमन/अलार्म प्रणालियों का प्रावधान शामिल नहीं है, जिन्हें सेवा प्रदाता के साथ अनुमोदित/प्रचलित दरों के अनुसार किया जाएगा।***

- *बिलिंग प्रयोजनों के लिए सभी माप, साइट के सभी प्रकार से पूरा होने के बाद लिए गए संयुक्त माप के अनुसार होंगे।*
- *शाखाओं में हाल ही में विद्युत लेखापरीक्षा टिप्पणियों के आधार पर आईएस कोड और सीओ दिशानिर्देशों के अनुसार विद्युत / डेटा वायरिंग, फिटिंग।*
- *सभी विद्युत संस्थापन केवल आरसीबीओ से होकर गुजरेंगे।*
- *सम्पूर्ण परिसर के लिए एकल अर्थिंग पिट उपलब्ध कराया जाएगा।*
- *सभी एमसीबी, तार, इनकमिंग-आउटगोइंग को टैग किया जाना चाहिए और एसएलडी बैंक को प्रदान किया जाना चाहिए।*
- *सभी तारों के अंत को उचित रूप से जोड़ा जाना चाहिए।*
- *समविभव बंधन - सभी धातु भागों को बिना लूपिंग के, न्यूनतम लंबाई पर अर्थिंग पिट से यांत्रिक कनेक्शन के साथ अर्थिंग प्रदान की जानी चाहिए।*
- *शाखा को सामान्य विद्युत सर्किट से स्वतंत्र यूपीएस सर्किट प्रदान किया जाना चाहिए और सभी सुरक्षा गैजेट यूपीएस सर्किट से जुड़े होने चाहिए।*
- *15 मीटर से अधिक ऊंची इमारतों के लिए लाइटनिंग अरेस्टर की व्यवस्था की जाएगी।*
- *मुख्य प्रवेश द्वार के बाहर एक आइसोलेशन ब्रेकर लगाया जाना चाहिए ताकि शाखा बंद होने पर भी सामान्य विद्युत परिपथ को पूरी तरह से अलग रखा जा सके। इस बाहरी आइसोलेशन ब्रेकर को बायपास करते हुए केवल सर्वर और बाहरी पोर्च लाइटों के लिए इनपुट कनेक्शन प्रदान किया जाना चाहिए।*

उपरोक्त सामान्य विनिर्देशन को मात्रा-पत्र के साथ पढ़ा जाना चाहिए। मात्रा-पत्र को कार्य के निष्पादन के आधार के रूप में लिया जा सकता है। विनिर्देशन और मात्रा-पत्र में किसी भी विसंगति की स्थिति में, मात्रा-पत्र को अंतिम माना जा सकता है। ठेकेदार को बैंक से इसकी जाँच करानी चाहिए, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

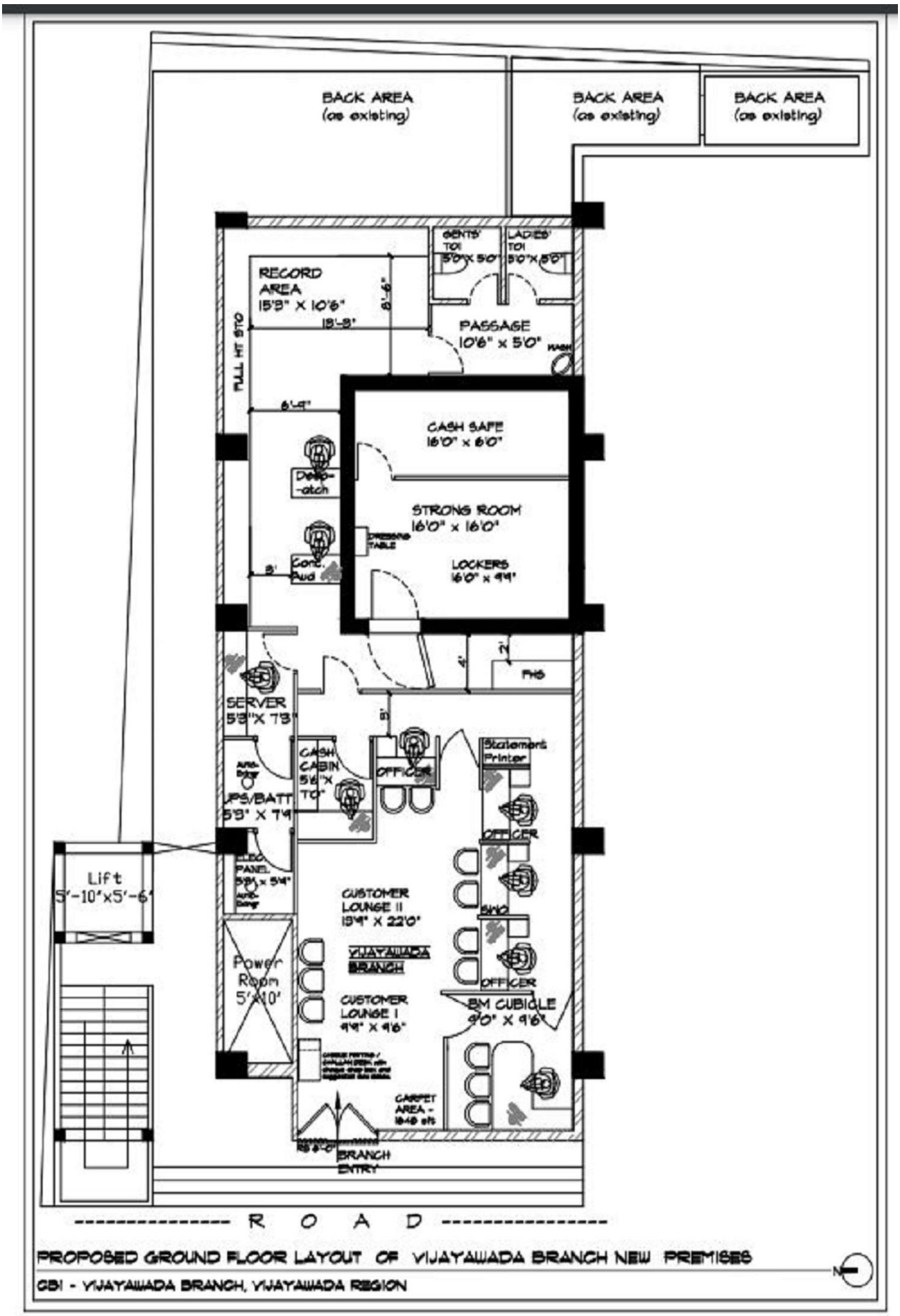

PROPOSED GROUND FLOOR LAYOUT OF VIJAYAWADA BRANCH NEW PREMISES

GBI - VIJAYAWADA BRANCH, VIJAYAWADA REGION

<u>अखंडता संधि</u>

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को इसके बाद **"प्रिंसिपल"** के रूप में संदर्भित किया जाएगा ।

और

..... को "बोलीदाता" के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

के मध्य में

<u>प्रस्तावना</u>

प्रिंसिपल निर्धारित संगठनात्मक प्रक्रियाओं के तहत, **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ग्राउंड फ्लोर, 27-19-13, वार्ड नंबर 9, राजस्व वार्ड नंबर 5, ब्लॉक नंबर 5, डीएनओ 11-15-5, राजस्व वार्ड नंबर 39 ए, विन्नाकोटि वारी स्ट्रीट, विजयवाड़ा -520001 के आंतरिक भाग के प्रस्तावित फर्निशिंग, इलेक्ट्रिकल और डेटा केबलिंग कार्य के लिए निविदा के लिए अनुबंध/अनुबंध प्रदान करना चाहते हैं।**
प्रिंसिपल देश के सभी प्रासंगिक कानूनों, नियमों, विनियमों, संसाधनों के आर्थिक उपयोग और अपने बोलीदाताओं और/या ठेकेदार(ओं) के साथ संबंधों में निष्पक्षता/पारदर्शिता के पूर्ण अनुपालन को महत्व देता है।

इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, प्रिंसिपल एक स्वतंत्र बाह्य मॉनिटर (आईईएम) की नियुक्ति करेगा, जो निविदा प्रक्रिया और ऊपर उल्लिखित सिद्धांतों के अनुपालन के लिए अनुबंध के निष्पादन की निगरानी करेगा।

धारा 1 – प्रिंसिपल की प्रतिबद्धताएँ

(1.) प्रधानाचार्य भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने तथा निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है:-
क. प्रिंसिपल का कोई भी कर्मचारी, व्यक्तिगत रूप से या परिवार के सदस्यों के माध्यम से, किसी अनुबंध के लिए निविदा या निष्पादन के संबंध में, स्वयं या तीसरे व्यक्ति के लिए कोई भौतिक या अभौतिक लाभ की मांग नहीं करेगा, वादा नहीं करेगा या स्वीकार नहीं करेगा, जिसका वह व्यक्ति कानूनी रूप से हकदार नहीं है।

ख. निविदा प्रक्रिया के दौरान, प्रिंसिपल सभी बोलीदाताओं के साथ निष्पक्षता और विवेकपूर्ण व्यवहार करेगा। प्रिंसिपल, विशेष रूप से, निविदा प्रक्रिया से पहले और उसके दौरान, सभी बोलीदाताओं को समान जानकारी प्रदान करेगा और किसी भी बोलीदाता को कोई गोपनीय/अतिरिक्त जानकारी प्रदान नहीं करेगा जिसके माध्यम से बोलीदाता निविदा प्रक्रिया या अनुबंध निष्पादन के संबंध में कोई लाभ प्राप्त कर सके।

ग. प्रिंसिपल सभी ज्ञात पूर्वाग्रही व्यक्तियों को प्रक्रिया से बाहर कर देगा।

(2) यदि प्रिंसिपल को अपने किसी कर्मचारी के आचरण के बारे में ऐसी जानकारी प्राप्त होती है जो आईपीसी/पीसी अधिनियम के अंतर्गत आपराधिक अपराध है, या यदि इस संबंध में कोई ठोस संदेह है, तो

प्रिंसिपल मुख्य सतर्कता अधिकारी को सूचित करेगा और इसके अतिरिक्त अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू कर सकता है।

धारा 2 – बोलीदाता/ठेकेदार(ओं) की प्रतिबद्धताएँ

1) बोलीदाता/ठेकेदार भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वे निविदा प्रक्रिया में भाग लेने और अनुबंध निष्पादन के दौरान निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

क. बोलीदाता/ठेकेदार सीधे तौर पर या किसी अन्य व्यक्ति या फर्म के माध्यम से, निविदा प्रक्रिया या अनुबंध के निष्पादन में शामिल प्रिंसिपल के किसी भी कर्मचारी या किसी तीसरे व्यक्ति को कोई भौतिक या अन्य लाभ देने का प्रस्ताव, वादा या वादा नहीं करेंगे, जिसके लिए वह कानूनी रूप से हकदार नहीं है, ताकि बदले में निविदा प्रक्रिया या अनुबंध के निष्पादन के दौरान किसी भी प्रकार का कोई लाभ प्राप्त किया जा सके।
ख. बोलीदाता/ठेकेदार अन्य बोलीदाताओं के साथ कोई भी अघोषित समझौता या समझौता नहीं करेंगे, चाहे वह औपचारिक हो या अनौपचारिक। यह विशेष रूप से कीमतों, विनिर्देशों, प्रमाणन, सहायक अनुबंधों, बोलियों के प्रस्तुतीकरण या अप्रस्तुतीकरण, या बोली प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा को सीमित करने या गुटबाजी शुरू करने संबंधी किसी भी अन्य कार्रवाई पर लागू होता है।
ग. बोलीदाता/ठेकेदार संबंधित आईपीसी/पीसी अधिनियम के तहत कोई अपराध नहीं करेंगे; इसके अलावा बोलीदाता/ठेकेदार प्रतिस्पर्धा या व्यक्तिगत लाभ के प्रयोजनों के लिए अनुचित तरीके से उपयोग नहीं करेंगे, या किसी अन्य को नहीं देंगे, व्यापारिक संबंध के हिस्से के रूप में प्रिंसिपल द्वारा प्रदान की गई कोई भी जानकारी या दस्तावेज, योजनाओं, तकनीकी प्रस्तावों और व्यावसायिक विवरणों के बारे में, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से निहित या प्रेषित जानकारी शामिल है।
घ. विदेशी मूल के बोलीदाता/ठेकेदार, भारत में अपने एजेंटों/प्रतिनिधियों का नाम और पता, यदि कोई हो, प्रकट करेंगे। इसी प्रकार, भारतीय राष्ट्रीयता वाले बोलीदाता/ठेकेदार, विदेशी प्रिंसिपलों का नाम और पता, यदि कोई हो, प्रस्तुत करेंगे। "विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के भारतीय एजेंटों पर दिशानिर्देश" में उल्लिखित अतिरिक्त विवरण बोलीदाता/ठेकेदार द्वारा प्रकट किए जाएँगे। इसके अलावा, दिशानिर्देशों में उल्लिखित अनुसार, भारतीय एजेंट/प्रतिनिधि को किए गए सभी भुगतान केवल भारतीय रुपये में ही होने चाहिए।
ई. बोलीदाता/ठेकेदार अपनी बोली प्रस्तुत करते समय, अनुबंध प्रदान करने के संबंध में एजेंटों, दलालों या किसी अन्य मध्यस्थों को किए गए, किए गए या किए जाने वाले सभी भुगतानों का खुलासा करेंगे।

(2) बोलीदाता/ठेकेदार किसी तीसरे व्यक्ति को ऊपर उल्लिखित अपराध करने के लिए उकसाएंगे नहीं या ऐसे अपराधों में सहायक नहीं बनेंगे।

धारा 3- निविदा प्रक्रिया से अयोग्यता और भविष्य के अनुबंधों से बहिष्करण

यदि बोलीदाता/ठेकेदार ने, पुरस्कार से पहले या निष्पादन के दौरान, उपरोक्त धारा 2 का उल्लंघन करके या किसी अन्य रूप में ऐसा उल्लंघन किया है जिससे उसकी विश्वसनीयता या विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लग गया है, तो प्रिंसिपल बोलीदाता/ठेकेदार को निविदा प्रक्रिया से अयोग्य घोषित करने या "व्यावसायिक लेन-देन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी दिशानिर्देश" में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई करने का हकदार है।

धारा 4 – क्षति के लिए मुआवजा

(1) यदि प्रिंसिपल ने धारा 3 के अनुसार पुरस्कार से पहले बोलीदाता(ओं) को निविदा प्रक्रिया से अयोग्य घोषित कर दिया है, तो प्रिंसिपल बयाना राशि जमा/बोली सुरक्षा के बराबर क्षतिपूर्ति की मांग करने और वसूलने का हकदार है।
(2) यदि प्रिंसिपल ने धारा 3 के अनुसार अनुबंध समाप्त कर दिया है, या यदि प्रिंसिपल धारा 3 के अनुसार अनुबंध समाप्त करने का हकदार है, तो प्रिंसिपल सत्यनिष्ठा संधि - ठेकेदार से अनुबंध मूल्य के बराबर क्षतिपूर्ति या निष्पादन बैंक गारंटी के बराबर राशि की मांग करने और वसूल करने का हकदार होगा।

धारा 5 – पूर्व अपराध

(1) बोलीदाता यह घोषणा करता है कि पिछले तीन वर्षों में भ्रष्टाचार विरोधी दृष्टिकोण के अनुरूप किसी भी देश में किसी अन्य बैंक या भारत में किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के साथ कोई पूर्व उल्लंघन नहीं हुआ है जो निविदा प्रक्रिया से उसके बहिष्कार को उचित ठहरा सके।
(2) यदि बोलीदाता इस विषय पर गलत बयान देता है, तो उसे निविदा प्रक्रिया से अयोग्य घोषित किया जा सकता है या "व्यावसायिक लेन-देन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी दिशानिर्देश" में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।

धारा 6 – सभी बोलीदाताओं/ठेकेदारों/उपठेकेदारों के साथ समान व्यवहार

(1) बोलीदाता/ठेकेदार अपने उपठेकेदारों से इस सत्यनिष्ठा समझौते के अनुरूप प्रतिबद्धता की मांग करने का वचन देते हैं।
(2) प्रिंसिपल सभी बोलीदाताओं और ठेकेदारों के साथ समान शर्तों के साथ समझौते में प्रवेश करेगा।
(3) प्रिंसिपल उन सभी बोलीदाताओं को निविदा प्रक्रिया से अयोग्य घोषित कर देगा जो इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं या इसके प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं।

धारा 7 - उल्लंघन करने वाले बोलीदाता(ओं) / ठेकेदार(ओं) / उपठेकेदार(ओं) के खिलाफ आपराधिक आरोप

यदि प्रधान को किसी बोलीदाता, ठेकेदार या उपठेकेदार, या किसी कर्मचारी या प्रतिनिधि या बोलीदाता, ठेकेदार या उपठेकेदार के सहयोगी के आचरण के बारे में जानकारी मिलती है जो भ्रष्टाचार का गठन करता है, या यदि प्रधान को इस संबंध में ठोस संदेह है, तो प्रधान इसकी सूचना मुख्य सतर्कता अधिकारी को देगा।

धारा 8 – स्वतंत्र बाह्य परिवीक्षक

(1) प्रधान इस समझौते के लिए एक सक्षम और विश्वसनीय स्वतंत्र बाह्य मॉनिटर नियुक्त करता है। मॉनिटर का कार्य स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से यह समीक्षा करना है कि क्या और किस हद तक पक्षकार इस समझौते के तहत दायित्वों का पालन करते हैं।
(2) मॉनिटर, पक्षों के प्रतिनिधियों के निर्देशों के अधीन नहीं होगा और अपने कार्य निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से करेगा। बोलीदाताओं/ठेकेदारों की जानकारी और दस्तावेजों को गोपनीय रखना उसके लिए अनिवार्य होगा। वह सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक को रिपोर्ट करेगा।
(3) बोलीदाता/ठेकेदार स्वीकार करते हैं कि मॉनिटर को ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेज़ों सहित, प्रधान परियोजना के सभी दस्तावेज़ों तक बिना किसी प्रतिबंध के पहुँच का अधिकार है। ठेकेदार, मॉनिटर को, उसके अनुरोध और वैध रुचि के प्रदर्शन पर, अपने परियोजना दस्तावेज़ों तक अप्रतिबंधित और बिना शर्त पहुँच प्रदान करेगा। यही बात उपठेकेदारों पर भी लागू होती है। मॉनिटर, संविदात्मक सत्यनिष्ठा संधि के तहत, बोलीदाता/ठेकेदार/उपठेकेदार की जानकारी और दस्तावेज़ों को गोपनीय रखने के लिए बाध्य है।

(4) प्रिंसिपल, परियोजना से संबंधित पक्षों के बीच होने वाली सभी बैठकों के बारे में मॉनिटर को पर्याप्त जानकारी प्रदान करेगा, बशर्ते कि ऐसी बैठकों का प्रिंसिपल और ठेकेदार के बीच संविदात्मक संबंधों पर प्रभाव पड़ सकता हो। पक्ष, मॉनिटर को ऐसी बैठकों में भाग लेने का विकल्प प्रदान करते हैं।
(5) जैसे ही मॉनिटर को इस समझौते का उल्लंघन नज़र आता है, या उसे लगता है कि उल्लंघन हो रहा है, वह प्रिंसिपल के प्रबंधन को इसकी सूचना देगा और प्रबंधन से अनुबंध को बंद करने, सुधारात्मक कार्रवाई करने, या अन्य प्रासंगिक कार्रवाई करने का अनुरोध करेगा। इस संबंध में मॉनिटर गैर-बाध्यकारी सिफारिशें प्रस्तुत कर सकता है। इसके अलावा, मॉनिटर को पक्षों से यह माँग करने का कोई अधिकार नहीं है कि वे किसी विशिष्ट तरीके से कार्य करें, कार्रवाई से बचें या कार्रवाई को सहन करें।
(6) मॉनिटर, प्रधान द्वारा संदर्भ या सूचना की तारीख से 8 से 10 सप्ताह के भीतर, केन्द्रीय बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और, यदि अवसर उत्पन्न होता है, तो समस्याग्रस्त स्थितियों को ठीक करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा।
(7) यदि मॉनिटर ने अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया को प्रासंगिक आईपीसी/पीसी अधिनियम के तहत अपराध का प्रमाणित संदेह रिपोर्ट किया है, और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने उचित समय के भीतर ऐसे अपराध के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए स्पष्ट कार्रवाई नहीं की है या मुख्य सतर्कता अधिकारी को इसकी सूचना नहीं दी है, तो मॉनिटर यह जानकारी सीधे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को भी प्रेषित कर सकता है।
(8) "मॉनीटर" शब्द में एकवचन और बहुवचन दोनों शामिल होंगे।

धारा 9 – संधि अवधि

यह समझौता तब शुरू होता है जब दोनों पक्ष कानूनी रूप से इस पर हस्ताक्षर करते हैं। यह ठेकेदार के लिए अनुबंध के तहत अंतिम भुगतान के 12 महीने बाद और अन्य सभी बोलीदाताओं के लिए अनुबंध दिए जाने के 6 महीने बाद समाप्त होता है।
यदि इस दौरान कोई दावा किया जाता है/दायर किया जाता है, तो वह बाध्यकारी होगा और ऊपर निर्दिष्ट इस समझौते की समाप्ति के बावजूद वैध बना रहेगा, जब तक कि इसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा निर्वहन/निर्धारित नहीं किया जाता है।

धारा 10 – अन्य प्रावधान

(1) यह समझौता भारतीय कानून के अधीन है। निष्पादन का स्थान और अधिकार क्षेत्र प्रिंसिपल का पंजीकृत कार्यालय, अर्थात मुंबई है।
(2) परिवर्तन और अनुपूरक तथा समाप्ति सूचनाएँ लिखित रूप में दी जानी चाहिए। कोई अतिरिक्त समझौता नहीं किया गया है।
(3) यदि ठेकेदार साझेदारी या कंसोर्टियम है, तो इस समझौते पर सभी भागीदारों या कंसोर्टियम सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।
(4) यदि इस समझौते के एक या कई प्रावधान अमान्य हो जाते हैं, तो भी इस समझौते का शेष भाग वैध रहेगा। ऐसी स्थिति में, पक्षकार अपने मूल इरादों पर सहमति बनाने का प्रयास करेंगे।
(5) सत्यनिष्ठा संधि और उसके अनुलग्नक के बीच किसी भी विरोधाभास की स्थिति में, सत्यनिष्ठा संधि का खंड लागू होगा।

_____	_____
(प्रिंसिपल हेतु और उसकी ओर से)	(बोलीदाता/ठेकेदार के लिए और उसकी ओर से)
(कार्यालय मुहर)	(कार्यालय मुहर)

स्थान:

दिनांक:

गवाह 1:

(नाम और पता) _____

_____

गवाह 2:
(नाम और पता) _____

_____

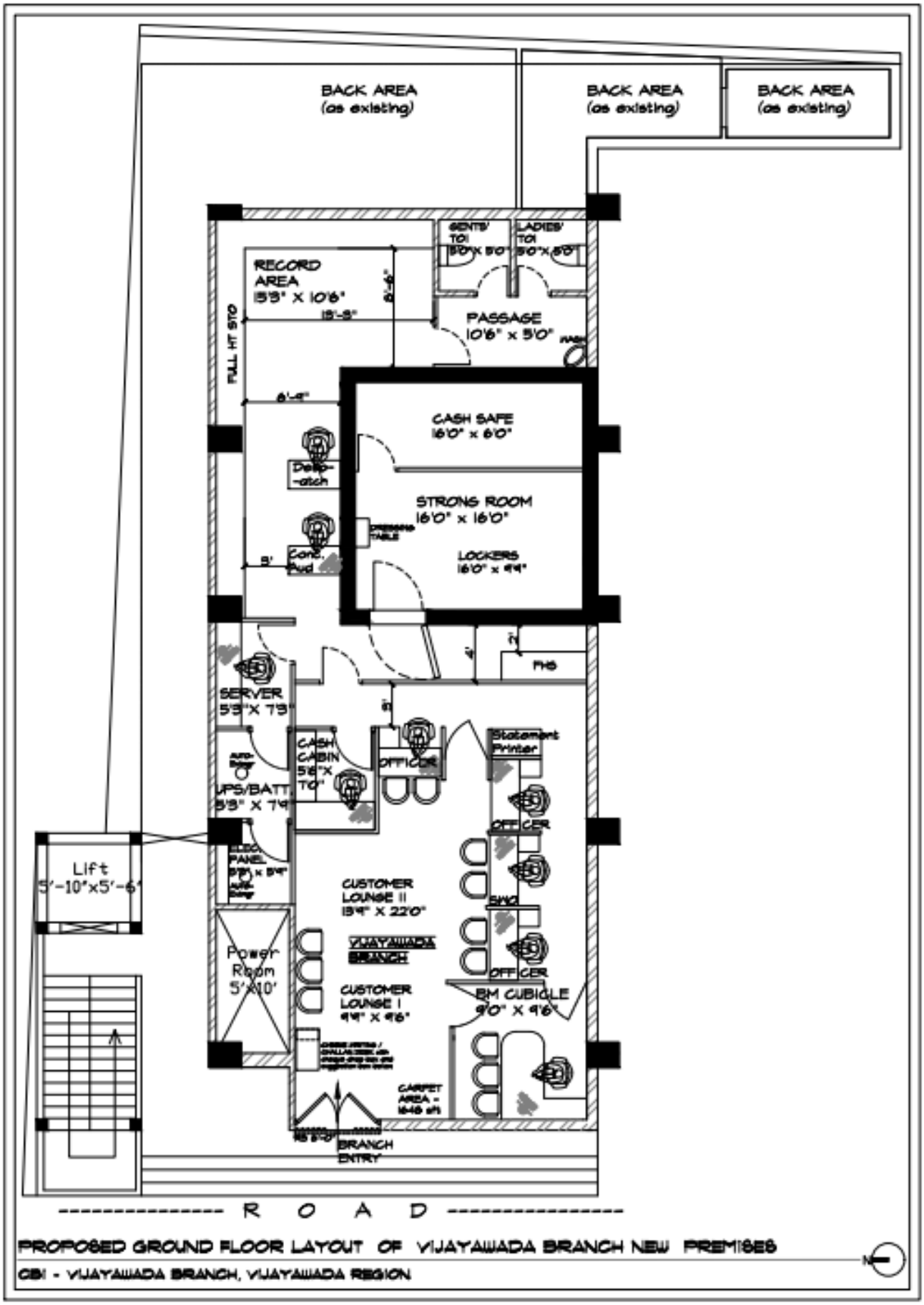

PROPOSED GROUND FLOOR LAYOUT OF VIJAYAWADA BRANCH NEW PREMISES

CBI - VIJAYAWADA BRANCH, VIJAYAWADA REGION